उपनियमों

अनुक्रमणिका

सीरीयल नम्बर	अध्याय	पेज नं.
अध्याय-I	प्रारंभिक और परिभाषाएँ	3
अध्याय-II	समाशोधन खंड	10
अध्याय-III	समितियाँ	11
अध्याय-IV	विनियम	12
अध्याय-V	समाशोधन सदस्य	14
अध्याय-VI	सौदों का समाशोधन और निपटान	16
अध्याय-VII	समाशोधन सदस्यों द्वारा व्यवहार	24
अध्याय-VII	मार्जिन और संपार्श्विक	26
अध्याय-IX	समाशोधन करने वाले सदस्यों और घटकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व	31
अध्याय-X	विवाद समाधान	35
अध्याय-XI	चूककर्ता	39
अध्याय-XII	कोर सेटलमेंट गारंटी फंड का संचालन शुरू होने के बाद कोर सेटलमेंट गारंटी फंड और चूक	47
अध्याय-XIII	विविध	55
अध्याय-XIV	प्रतिभागियों	57
अध्याय-XV	समाशोधन निगम का समापन	59

अध्याय-I
प्रारंभिक और परिभाषाएँ

<u>प्रारंभिक</u>

<u>छोटा शीर्षक</u>

इन उपनियमों को **"उपनियम"** या **"एआरसीएल उपनियम"** कहा जाएगा।

प्रतिभूति कानूनों और पीएसएस अधिनियम की प्रयोज्यता

इसके तहत निर्धारित ये उपनियम और विनियम प्रतिभूति कानूनों और पीएसएस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन होंगे।

1.**परिभाषाएं**

इन उपनियमों में, जब तक कि संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो

1.1 "निदेशक मंडल" या "एआरसीएल का बोर्ड"

"निदेशक मंडल" या "एआरसीएल के बोर्ड" का अर्थ एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड के निदेशक मंडल से है।

1.2 व्यावसायिक दिन

समाशोधन निगम नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट्स एक्ट, 1881 के तहत सार्वजनिक छुट्टियों को छोड़कर और जब भी संबंधित प्राधिकरण द्वारा अग्रिम रूप से घोषित किया जाता है, सभी दिनों में खुला रहेगा।

1.3 उपनियम

"उपनियम" का अर्थ समाशोधन निगम के समय के लिए लागू होने वाले उपनियम हैं।

1.4 समाशोधन और निपटान

"क्लियरिंग एंड सेटलमेंट" का अर्थ है डील का क्लियरिंग या सेटलमेंट या क्लियरिंग और सेटलमेंट इस तरह से और ऐसी शर्तों के अधीन जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है।

1.5 समाशोधन बैंक (बैंकों)

"समाशोधन बैंक" का अर्थ है समाशोधन बैंक ऐसे बैंक हैं जिन्हें समाशोधन निगम समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधित सभी सौदों के लिए निपटान मूल्य और मार्जिन राशि के संग्रह के लिए धन निपटान एजेंसी के रूप में कार्य करने के लिए नियुक्त कर सकता है। और समाशोधन सदस्यों और समाशोधन निगम के बीच और समय-समय पर समाशोधन निगम द्वारा निर्देशित समाशोधन सदस्यों के बीच किसी भी अन्य धन की आवाजाही।

1.6 समाशोधन निगम

"क्लियरिंग कॉर्पोरेशन" या "एआरसीएल" का अर्थ एएमसी रेपो क्लियरिंग लिमिटेड है जो रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान की गतिविधि करने के लिए स्थापित किया गया है।

1.7 समाशोधन सदस्य

"समाशोधन सदस्य" का अर्थ समाशोधन निगम का सदस्य होगा और समाशोधन निगम द्वारा स्वीकार किए जाने वाले समाशोधन सदस्यों की सभी श्रेणियों को शामिल करता है, लेकिन समाशोधन निगम के शेयरधारक को निरूपित नहीं करता है।

1.8 समाशोधन खंड

"समाशोधन खंड" का अर्थ है सौदों के समाशोधन और निपटान के लिए अलग-अलग खंड या प्रभाग जिन्हें संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर वर्गीकृत किया जा सकता है।

1.9 ग्राहक/संघटक

"ग्राहक" या "संघटक" का अर्थ उस व्यक्ति से है जिसके निर्देश पर और जिसके खाते में समाशोधन सदस्य समाशोधन निगम पर सौदों का निपटान करता है या जैसा कि समाशोधन निगम द्वारा अनुमति दी जा सकती है।

स्पष्टीकरण 1:

उप-नियमों, नियमों और विनियमों में 'संविधान' और 'ग्राहक' शब्दों का परस्पर उपयोग किया जाता है और इसका वही अर्थ होगा जो इसमें दिया गया है।

स्पष्टीकरण 2:

शब्द 'संविधान' में प्रतिभागियों को शामिल किया जाएगा जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे।

स्पष्टीकरण 3:

जहां भी संदर्भ में ट्रेडों के संबंध में 'घटक' शब्द की आवश्यकता होती है, उसमें एक ट्रेडिंग सदस्य भी शामिल होगा, जहां एक्सचेंज पर किए गए ऐसे ट्रेडों को क्लियरिंग सदस्य द्वारा उसकी ओर से मंजूरी और निपटान किया जाता है।

1.10 संपार्श्विक

"संपार्श्विक" का अर्थ समाशोधन सदस्यों और/या उनके घटकों के स्वामित्व वाली पात्र प्रतिभूतियाँ हैं और समाशोधन सदस्यों और/या उनके घटकों के लिए किए गए जोखिमों को सुरक्षित करने के लिए समाशोधन निगम को वितरित किया गया है।

1.11 कोर सेटलमेंट गारंटी फंड

"कोर सेटलमेंट गारंटी फंड" का अर्थ क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के उप-नियमों के प्रासंगिक प्रावधानों के अनुसार स्थापित और बनाए रखा गया फंड है।

1.12 महत्वपूर्ण संचालन और सेवाएं

"क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज" में ऑपरेशंस और सेवाएं शामिल होंगी जैसे कि संपार्श्विक प्रबंधन, जोखिम प्रबंधन, क्लियरिंग और सेटलमेंट को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन या क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा पहचाने जाने वाले किसी भी अन्य ऑपरेशन और सेवाओं के महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं के रूप में माना जाएगा। क्रिटिकल ऑपरेशंस एंड सर्विसेज के रूप में।

1.13 डील

"सौदा" का अर्थ है रेपो और रिवर्स रेपो लेनदेन के सौदे जिन्हें समाशोधन निगम के माध्यम से मंजूरी और निपटान के लिए स्वीकार किया जाता है।

1.14 डिलीवरिंग मेंबर/सेलिंग मेंबर

"डिलीवरिंग मेंबर/सेलिंग मेंबर" का मतलब एक क्लियरिंग मेंबर से है, जो अनुबंधों की पूर्ति में डिलीवरी को प्रभावित करता है या प्रभावित करता है, जिसके लिए ये नियम, उप-कानून और विनियम लागू होते हैं, जब तक कि संदर्भ अन्यथा इंगित न करे।

1.15 योग्य सुरक्षा

"पात्र सुरक्षा" का अर्थ समाशोधन निगम द्वारा समय-समय पर मार्जिन / संपार्श्विक / मूल निपटान गारंटी निधि के लिए समाशोधन निगम द्वारा स्वीकार्य कोई भी सुरक्षा है, जो समाशोधन सदस्यों और / या घटकों द्वारा उनके दायित्व के हिस्से के रूप में प्रस्तुत किया जाता है। कानून, नियम और प्रासंगिक विनियम।

1.16 एक्सचेंज

"एक्सचेंज" का अर्थ स्टॉक एक्सचेंज के रूप में SCRA के तहत मान्यता प्राप्त किसी भी स्टॉक एक्सचेंज से है।

1.17 हेयरकट

"हेयरकट" का अर्थ पात्र प्रतिभूति के बाजार मूल्य और उसके संपार्श्विक मूल्य के बीच के अंतर से है।

व्याख्या:

संपार्श्विक के रूप में रखी गई सुरक्षा के बाजार मूल्य में गिरावट से उत्पन्न होने वाले संभावित नुकसान से खुद को बचाने के लिए क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा हेयरकट लिया जाता है।

1.18 मार्जिन

"मार्जिन" का अर्थ है धन/प्रतिभूतियां/जमा/बैंक गारंटी जमा करना/जमा करने के लिए आवश्यक समाशोधन सदस्यों और/या घटकों द्वारा सुरक्षा के रूप में उपनियमों के संदर्भ में गारंटीकृत निपटान के लिए समाशोधन निगम द्वारा स्वीकार किए गए सौदों से उत्पन्न किसी भी संभावित नुकसान को कवर करने के लिए। कायदा कानून;

1.19 नोवेशन

"नोवेशन" का अर्थ है क्लियरिंग कॉर्पोरेशन का कार्य जो प्रत्येक सौदे के दोनों पक्षों के बीच समाशोधन और निपटान के उद्देश्य के लिए कानूनी प्रतिपक्ष होने के नाते खुद को हस्तक्षेप करता है।

1.20 प्राप्त करने वाले सदस्य/खरीदने वाले सदस्य

"प्राप्त करने वाले सदस्य/खरीदने वाले सदस्य" का अर्थ एक समाशोधन सदस्य होगा जिसे उन अनुबंधों की पूर्ति के लिए डिलीवरी लेनी चाहिए या ले ली है जिन पर ये नियम, उप-नियम और विनियम लागू होते हैं।

1.21 पीएसएस अधिनियम

"पीएसएस अधिनियम" का अर्थ है समय-समय पर संशोधित भुगतान और निपटान प्रणाली अधिनियम, 2007।

1.22 विनियम

"विनियम" का वही अर्थ होगा जो इसे समाशोधन निगम के नियमों, उपनियमों और विनियमों में निर्दिष्ट किया गया है।

1.23 नियामक

"नियामक" का अर्थ भारतीय रिजर्व बैंक अधिनियम, 1934 के तहत स्थापित सेबी और भारतीय रिजर्व बैंक, जैसा भी मामला हो, से है।

1.24 प्रासंगिक प्राधिकरण

"प्रासंगिक प्राधिकरण" का अर्थ है एआरसीएल का बोर्ड, या ऐसे अन्य प्राधिकरण जो एआरसीएल के बोर्ड द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट उद्देश्य के लिए प्रासंगिक के रूप में निर्दिष्ट किए गए हैं।

1.25 प्रासंगिक समिति

"प्रासंगिक समिति" का अर्थ सदस्य और कोर सेटलमेंट गारंटी फंड कमेटी या समय-समय पर नियामक द्वारा निर्धारित ऐसी अन्य समिति होगी।

1.26 रेपो

"रेपो" का अर्थ ऋण प्रतिभूतियों को बेचकर उधार लेने का एक साधन है, जिसमें सहमत मूल्य पर भविष्य की तारीख पर ऋण प्रतिभूतियों की पुनर्खरीद करने का समझौता होता है, जिसमें उधार ली गई धनराशि पर ब्याज शामिल होता है और इसमें त्रि-पक्षीय रेपो शामिल होता है।

1.27 रेपो लेनदेन

"रेपो लेन-देन" का अर्थ रेपो और रिवर्स रेपो में उन ऋण प्रतिभूतियों में लेन-देन है, जिनका किसी एक्सचेंज में लेन-देन या कारोबार होता है।

1.28 रेपो खंड

"रेपो सेगमेंट" एक ऐसा सेगमेंट है, जिस पर एक्सचेंज पर ट्रेड किए जाने वाले ट्राई-पार्टी रेपो सहित रेपो लेनदेन को समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किया जाता है।

1.29 रिवर्स रेपो

"रिवर्स रेपो" का अर्थ ऋण प्रतिभूतियों को खरीद कर उधार देने के लिए एक साधन है, जिसमें सहमत भविष्य की तारीख पर ऋण प्रतिभूतियों को पुनर्विक्रय करने के लिए सहमत मूल्य पर ब्याज शामिल है।

1.30 नियम

"नियमों" का अर्थ वही होगा जो इसे समाशोधन निगम के नियमों के तहत सौंपा गया है।

1.31 एससीआरए

"एससीआरए" का अर्थ प्रतिभूति संविदा (विनियमन) अधिनियम, 1956 और उसके किसी भी संशोधन से है।

1.32 सेबी

"सेबी" का अर्थ भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड अधिनियम, 1992 की धारा 3 के तहत स्थापित भारतीय प्रतिभूति और विनिमय बोर्ड है।

1.33 प्रतिभूतियां

"सिक्योरिटीज" का अर्थ एससीआरए और उसके किसी भी संशोधन में इसे निर्दिष्ट किया जाएगा और इसमें ऐसे अन्य वर्ग के उपकरण या उत्पाद, मौद्रिक या गैर-मौद्रिक, स्क्रिप-रहित या अन्यथा शामिल होंगे, जिन्हें मंजूरी और निपटान के लिए स्वीकार किया जा सकता है। समाशोधन निगम के माध्यम से।

1.34 प्रतिभूति कानून

"प्रतिभूति कानून" में SCRA, SEBI अधिनियम, डिपॉजिटरी अधिनियम, 1996, कंपनी अधिनियम, 2013 के प्रासंगिक प्रावधान और उसके तहत बनाए गए नियम और विनियम और कोई भी वैधानिक संशोधन या पुन: अधिनियमन, परिपत्र, अधिसूचनाएं, निर्देश, दिशानिर्देश शामिल हैं। केंद्र सरकार या सेबी द्वारा समय-समय पर बनाया या जारी किया गया।

1.35 ट्रेडिंग सदस्य

"व्यापारिक सदस्य" या "व्यापारिक सदस्य" का अर्थ किसी भी एक्सचेंज के किसी भी खंड का व्यापारिक सदस्य है।

1.36 त्रि-पार्टी रेपो

"त्रि-पार्टी रेपो" रेपो अनुबंध का एक प्रकार है जहां एक तीसरी संस्था (उधारकर्ता और ऋणदाता के अलावा), जिसे त्रि-पार्टी एजेंट कहा जाता है, संपार्श्विक चयन जैसी सेवाओं की सुविधा के लिए रेपो के दोनों पक्षों के बीच मध्यस्थ के रूप में कार्य करती है। लेन-देन की अवधि के दौरान भुगतान और निपटान, अभिरक्षा और प्रबंधन।

1.37 वाइंडिंग डाउन या वाइंड डाउन

"वाइंडिंग डाउन" या "वाइंड डाउन" का अर्थ है, क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन के उप-नियमों द्वारा निर्धारित स्वैच्छिक आधार या अनैच्छिक आधार पर महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं की समाप्ति के लिए क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अपनाई गई प्रक्रिया।

<u>नोट</u>: जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो, इन उपनियमों में उपयोग की गई लेकिन परिभाषित नहीं की गई शर्तों का अर्थ समाशोधन निगम के नियमों या विनियमों के तहत ऐसी शर्तों को निर्दिष्ट किया जाएगा।

अन्य सभी शब्दों और अभिव्यक्तियों का उपयोग किया गया है, लेकिन इन उप-नियमों में परिभाषित नहीं किया गया है, लेकिन प्रतिभूति अनुबंध (विनियमन) (स्टॉक एक्सचेंज और समाशोधन निगम) विनियम, 2018 और पीएसएस अधिनियम में परिभाषित किया गया है, वही अर्थ उक्त विनियमों में उन्हें सौंपा जाएगा।

अध्याय-II
समाशोधन खंड

2.1 समाशोधन निगम रेपो खंड की स्थापना कर सकता है।

2.2 समाशोधन निगम नियामक की पूर्व अनुमति के अधीन रेपो खंड के अलावा समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित एक से अधिक समाशोधन खंड स्थापित कर सकता है।

2.3 प्रासंगिक प्राधिकरण यह निर्धारित कर सकता है कि समाशोधन और निपटान के उद्देश्य से समाशोधन खंड में कौन से सौदे स्वीकार किए जा सकते हैं।

अध्याय -III
समितियाँ

3.1 एआरसीएल का बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर नियामक द्वारा निर्धारित तरीके से विभिन्न समितियों की नियुक्ति कर सकता है। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, बोर्ड समितियों की नियुक्ति कर सकता है क्योंकि यह उसके द्वारा पहचाने गए किसी भी उद्देश्य के लिए उपयुक्त हो सकता है।

3.2 ऐसी समितियां कार्य करेंगी और उनके पास ऐसी शक्तियां/जिम्मेदारियां होंगी जो नियमों में निर्धारित की जा सकती हैं या नियामक/एआरसीएल के बोर्ड/संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट की जा सकती हैं।

अध्याय-IV

विनियम

4.1 एआरसीएल का बोर्ड समाशोधन निगम के कामकाज और संचालन के लिए और समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों के कामकाज और संचालन को विनियमित करने के लिए समय-समय पर नियमों को निर्धारित कर सकता है।

4.2 उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, एआरसीएल का बोर्ड समय-समय पर अन्य बातों के साथ-साथ निम्नलिखित के संबंध में नियम निर्धारित कर सकता है:

(ए) समाशोधन सदस्य / समाशोधन बैंकों के प्रवेश के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(बी) प्रतिभागियों के पंजीकरण के लिए मानदंड, प्रक्रिया, नियम और शर्तें;

(सी) समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए सौदों के प्रवेश के लिए अनुपालन किए जाने वाले मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(डी) विभिन्न समाशोधन खंडों और विभिन्न प्रतिभूतियों और उपकरणों के लिए सौदों के समाशोधन और निपटान के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(ई) समाशोधन सदस्य के सदस्यों से संपार्श्विक स्वीकार करने के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(एफ) किए जाने वाले सौदों के प्रपत्र और शर्तें, और समाशोधन सदस्यों के बीच या समाशोधन सदस्यों और उनके घटकों के बीच, प्रतिभागियों के बीच या प्रतिभागियों और समाशोधन सदस्यों के बीच सौदों के प्रदर्शन के लिए समय, मोड और तरीके;

(छ) समाशोधन निगम द्वारा गारंटीकृत निपटान के लिए मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(एच) चूक के लिए समाशोधन निगम से समाशोधन सदस्यों के निलंबन/निष्कासन सहित समय-समय पर जुर्माना और अन्य परिणामों का प्रशासन;

(i) चूक के लिए समाशोधन निगम से प्रतिभागियों के निलंबन/डी-रजिस्ट्रेशन सहित समय-समय पर निर्धारित जुर्माना और अन्य परिणाम;

(जे) मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें, विभिन्न प्रकार के मार्जिन और समय-समय पर समाशोधन निगम द्वारा लगाए जा सकने वाले अन्य शुल्कों और प्रतिबंधों की स्थिति और प्रशासन;

(के) समाशोधन निगम को समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों द्वारा देय शुल्क, सिस्टम उपयोग, शुल्क, जमा, मार्जिन, संपार्श्विक और अन्य धन का समय-

समय पर निर्धारण और समाशोधन और अन्य शुल्कों के पैमाने को एकत्र किया जा सकता है। समाशोधन सदस्यों द्वारा;

(एल) समाशोधन संचालन का पर्यवेक्षण और इस तरह के व्यावसायिक नियमों और आचार संहिता की घोषणा जैसा कि यह उचित हो सकता है;

(एम) रिकॉर्ड और खातों की पुस्तकों का निरीक्षण और लेखा परीक्षा;

(एन) विवादों, शिकायतों का निपटारा, समाशोधन सदस्यों के बीच उत्पन्न होने वाले दावों के साथ-साथ समाशोधन सदस्यों और समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधन निगम के माध्यम से निपटाए गए किसी भी सौदे से संबंधित समाशोधन सदस्यों और घटकों के बीच मध्यस्थता, मानदंड, प्रक्रियाओं, नियमों और शर्तों द्वारा निपटान मध्यस्थता के लिए;

(ओ) समाशोधन निगम द्वारा स्थापित कोर सेटलमेंट गारंटी फंड/फंड(फंडों) के कॉर्पस का प्रशासन, रखरखाव और निवेश;

(पी) समाशोधन निगम की स्थापना, मानदंड, नियम और शर्तें, कार्यप्रणाली और प्रक्रियाएं, निक्षेपागार के माध्यम से समाशोधन या समाशोधन और निपटान के लिए अभिरक्षा सेवाओं सहित अन्य व्यवस्थाएं;

(क्यू) सौदे बंद करने के लिए प्रासंगिक या परिणामी होने के बावजूद मानदंड, प्रक्रियाएं, नियम और शर्तें;

(आर) सूचना और घोषणाओं का प्रसार;

(एस) कोई अन्य मामला जो एआरसीएल के बोर्ड द्वारा तय किया जा सकता है।

अध्याय -V

समाशोधन सदस्य

5.1 समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अनुसार समाशोधन सदस्यों को स्वीकार करने के लिए प्रासंगिक प्राधिकरण को अधिकार दिया गया है। समाशोधन सदस्य समाशोधन सदस्य के प्रवेश पर और निरंतर प्रवेश के लिए समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट शुल्क, सुरक्षा जमा और अन्य धन का भुगतान करेगा। समय-समय पर समाशोधन सदस्य द्वारा समाशोधन निगम के साथ शुल्क, सुरक्षा जमा, मार्जिन धन या संपार्श्विक सहित अन्य धनराशि और नकद, बैंक गारंटी, प्रतिभूतियों या अन्यथा के रूप में भुगतान किए गए किसी भी अतिरिक्त जमा, विषय के अधीन होंगे समाशोधन निगम के कारण किसी भी राशि के लिए प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार और उपनियमों, नियमों के अधीन किए गए किसी भी सौदे से उत्पन्न या प्रासंगिक समाशोधन सदस्यों की सगाई, दायित्वों और देनदारियों की पूर्ति के लिए समाशोधन सदस्य के खिलाफ अन्य सभी दावों के लिए और समाशोधन निगम के विनियम। समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य के खिलाफ अन्य दावों के बहिष्करण के लिए, समाशोधन सदस्य के खिलाफ अन्य दावों के बहिष्करण के लिए, समाशोधन सदस्य के लिए किसी भी संदर्भ के बिना, इस तरह के शुल्क, जमा और मार्जिन धन या संपार्श्विक सहित अन्य धन को समायोजित या उपयुक्त करने का हकदार होगा। सिक्योरिटी डिपॉजिट या अतिरिक्त डिपॉजिट के एवज में क्लीयरिंग मेंबर द्वारा दी गई बैंक गारंटी के आह्वान से उत्पन्न होने वाली आय, क्लियरिंग कॉरपोरेशन द्वारा आहूत किए जाने पर, क्लियरिंग मेंबर के डिपॉजिट के हिस्से के रूप में एक्सपोज़र आदि के उद्देश्य से नहीं गिना जाएगा। ., जब तक कि समाशोधन सदस्य संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर लगाई गई शर्तों का अनुपालन नहीं करता है। बैंक गारंटियों को लागू करने से प्राप्त आय को समाशोधन निगम द्वारा निपटाया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे।

5.2 किसी भी समाशोधन खंड का समाशोधन सदस्य उस खंड से संबंधित समाशोधन निगम के माध्यम से इस तरह के तरीके और मोड में और ऐसे नियम और शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन हो सकता है जो उस खंड में समाशोधन सदस्य के लिए निर्धारित किए जा सकते हैं।

5.3 समाशोधन सदस्य या तो अपने मालिकाना खाते पर या अपने ग्राहकों की ओर से सौदों को साफ़ और व्यवस्थित कर सकते हैं जब तक कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा

अन्यथा निर्दिष्ट नहीं किया जाता है और ऐसे नियमों और शर्तों के अधीन होता है जो प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

5.4 समाशोधन सदस्य के समाशोधन सदस्यता अधिकार की समाप्ति पर, समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के तहत लागू नहीं होने वाली सभी सुरक्षा जमा और धन, समाशोधन सदस्य की कीमत पर वापस किया जाएगा और/या इसे हस्तांतरित किया जाएगा। या यह अपने कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों/समनुदेशितियों को इस तरह के निर्देश के अभाव में निर्देशित करेगा। कानूनी प्रतिनिधियों/उत्तराधिकारियों/समनुदेशितियों का पता लगाने के उद्देश्य से, संबंधित प्राधिकरण संबंधित व्यक्ति(ओं) द्वारा की जाने वाली कार्रवाई का ऐसा तरीका निर्धारित कर सकता है, जैसा कि वह अपने पूर्ण विवेक से और समाशोधन निगम के हित में, उपयुक्त समझे और उचित।

अध्याय - VI
सौदों का समाशोधन और निपटान

6.1 सौदों का समाशोधन और निपटान

6.1.1 समाशोधन निगम उप-कानूनों और विनियमों में प्रदान किए गए सौदों को साफ़ और व्यवस्थित करेगा और इस तरह प्रदान किए जाने के अलावा, कोई अन्य सौदे साफ़ और व्यवस्थित नहीं होंगे।

6.2 सौदों की स्वीकृति

6.2.1 उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर समाशोधन खंड पर स्वीकार किए गए सौदों के समाशोधन निगम पर समाशोधन और निपटान की अनुमति दी जाएगी।

6.2.2 संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर प्रतिभूतियों में लेन-देन निर्दिष्ट कर सकता है, जिसे उस संबंध में उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार स्वीकार किया जा सकता है।

6.2.3 प्रासंगिक प्राधिकरण एक्सचेंजों को निर्दिष्ट कर सकता है, जिस पर समाशोधन निगम द्वारा उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किया जा सकता है।

6.3 समाशोधन और निपटान की शर्तें और आवश्यकताएं

प्रासंगिक प्राधिकरण एक्सचेंज(नों) पर किए गए सौदों की स्वीकृति प्रदान कर सकता है, बशर्ते प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शर्तों और आवश्यकताओं सहित सभी शर्तों और आवश्यकताओं को संबंधित पक्षों द्वारा विधिवत पूरा किया गया हो।

6.4 सौदों के प्रवेश से इनकार

प्रासंगिक प्राधिकरण, अपने विवेकाधिकार में, सौदों के प्रवेश को मंजूरी दे सकता है या समाशोधन निगम पर समाशोधन और निपटान के लिए सौदों के प्रवेश को अस्वीकार कर सकता है, ऐसी शर्तों के अधीन जो वह उचित समझे।

6.5 विशिष्ट सौदे

प्रासंगिक प्राधिकारी, उचित मामलों में केवल अपने विवेक से समय-समय पर समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधन और निपटान के लिए विशिष्ट सौदों का निर्णय ले सकता है, जो समाशोधन निगम पर समाशोधन के लिए स्वीकार नहीं किए जाते हैं या समय के लिए निषिद्ध हैं या निलंबित।

6.6 सौदों की स्वीकृति का निलंबन

प्रासंगिक प्राधिकरण किसी भी समय समाशोधन खंड पर सौदों के प्रवेश को ऐसी अवधि के लिए निलंबित कर सकता है, जैसा वह निर्धारित कर सकता है और ऐसी शर्तों के अधीन ऐसे सौदों को बहाल कर सकता है, जो वह उचित समझे।

6.7 सौदों के प्रवेश को वापस लेना

प्रासंगिक प्राधिकरण जहां आवश्यक समझे किसी भी एक्सचेंज पर लेनदेन के प्रवेश की अनुमति वापस ले सकता है या तो किसी भी शर्तों या लेनदेन के प्रवेश की आवश्यकताओं या किसी भी अन्य कारण से अनुपालन नहीं कर सकता है।

6.8 सौदों का पुन: प्रवेश

प्रासंगिक प्राधिकरण अपने विवेक से किसी भी एक्सचेंज के सौदों को दोबारा शुरू कर सकता है जिन्हें पहले वापस ले लिया गया है।

6.9 समाशोधन और निपटान

निपटान समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों द्वारा प्रभावी किया जाएगा, जैसा भी मामला हो, समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तरीके और प्रक्रिया में हो सकता है।

6.10 निपटान अंतिमता

6.10.1 किसी सौदे के संबंध में भुगतान और निपटान समय-समय पर जारी किए गए परिपत्रों में संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट नेटिंग या सकल प्रक्रिया के अनुसार निर्धारित किया जाएगा।

6.10.2 सौदे के संबंध में भुगतान और निपटान अंतिम, अपरिवर्तनीय और समाशोधन सदस्यों और घटकों पर बाध्यकारी होगा।

6.10.3 उप-नियम 5.1 और 8.13 पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जब कोई समझौता अंतिम और अपरिवर्तनीय हो जाता है, तो समाशोधन निगम का अधिकार समाशोधन सदस्य या घटक द्वारा योगदान किए गए किसी भी संपार्श्विक या जमा या मार्जिन को उपयुक्त करने का है, जैसा भी मामला हो, इन उपनियमों के अनुसार इसके निपटान या अन्य दायित्वों के प्रति उक्त समाशोधन सदस्य या घटक के खिलाफ किसी भी अन्य दायित्व या दावे पर प्राथमिकता दी जाएगी, जैसा भी मामला हो।

6.10.4 शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त उपनियम 6.10.1 में उल्लिखित निपटान, चाहे वह सकल या शुद्ध हो, अंतिम और अपरिवर्तनीय है, जैसे ही इस तरह के निपटान के परिणामस्वरूप देय धन या प्रतिभूतियां समाप्त हो जाती हैं। यह निर्धारित किया जाता है कि इस तरह के पैसे या प्रतिभूतियों का वास्तव में भुगतान किया गया है या नहीं।

6.10.5 उपरोक्त उप-नियम 6.10.1 के प्रयोजन के लिए, "नेटिंग" का अर्थ समाशोधन निगम द्वारा शुद्ध भुगतान या समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों के वितरण दायित्वों का निर्धारण या परस्पर दायित्वों या दावों का समायोजन या समायोजन करके होता है। समाशोधन निगम द्वारा समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों सहित प्रतिभूतियों की खरीद और बिक्री, ऐसी परिस्थितियों में, जैसा कि समाशोधन निगम भविष्य की तारीख में निपटान के लिए स्वीकार किए गए सौदों के उपनियमों में निर्दिष्ट कर सकता है, ताकि केवल एक शुद्ध दावे की मांग की जाए, या शुद्ध दायित्व बकाया हो।

6.10.6 शंकाओं को दूर करने के लिए, यह घोषित किया जाता है कि उपरोक्त उपनियम 6.10.5 में संदर्भित समाशोधन निगम द्वारा समाप्ति से उत्पन्न होने वाले दावों और दायित्वों का अर्थ उन दावों और दायित्वों से भी होगा जो अनुबंध के अनुसार बंद किए गए सौदों से उत्पन्न होते हैं। ये उपनियम।

6.10.7 उप-नियम 6.10.2 और 6.10.3 के प्रयोजन के लिए, 'संविधान' शब्द में प्रतिभागी शामिल है।

6.11 समाशोधन निगम का अधिकार

समाशोधन निगम का अधिकार अपने समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों से, जैसा भी मामला हो, उनके समाशोधन और निपटान कार्यों के निर्वहन से उत्पन्न होने वाली बकाया राशि, संपार्श्विक, जमा और समाशोधन सदस्यों की संपत्ति से और/या प्रतिभागियों को, जैसा भी मामला हो, समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों, जैसा

भी मामला हो, के किसी अन्य दायित्व या उनके खिलाफ दावे पर प्राथमिकता दी जाएगी।

6.12 अनुबंध की गोपनीयता

6.12.1 यहां प्रदान किए गए को छोड़कर, समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, उपनियमों और विनियमों में प्रदान किए गए अनुसार वितरण और/या भुगतान प्राप्त करना माना जाएगा, भले ही कोई प्रत्यक्ष अनुबंध मौजूद न हो। उनके बीच, जैसा भी मामला हो, विक्रेताओं और खरीदारों या उधारदाताओं और उधारकर्ताओं के रूप में एक दूसरे के साथ अनुबंध करने के लिए।

6.12.2 उन मामलों में जहां समाशोधन निगम या तो आम तौर पर या विशेष रूप से निर्दिष्ट कर सकता है, समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, वितरण देना और प्राप्त करना और उपनियमों और विनियमों में प्रदान किए गए धन का भुगतान करना और प्राप्त करना माना जाएगा। , इस बात के बावजूद कि उनके बीच कोई सीधा अनुबंध मौजूद नहीं है, विक्रेता और खरीदार के रूप में या उधारकर्ताओं और उधारदाताओं के रूप में, जैसा भी मामला हो, क्लियरिंग कॉरपोरेशन के साथ पूर्ण नोवेशन के माध्यम से अनुबंध करने के लिए, और क्लियरिंग के उद्देश्य के लिए सदस्यों को वितरित करने और प्राप्त करने के रूप में उनके बीच और निपटान; बशर्ते आगे कि ऐसी स्थिति में डिलीवरी करने वाले और प्राप्त करने वाले सदस्य के अधिकार और देनदारियां इससे प्रभावित नहीं मानी जाएंगी और समाशोधन निगम दस्तावेजों के शीर्षक, स्वामित्व, वास्तविकता, नियमितता और वैधता के संबंध में जिम्मेदार नहीं होगा। वितरित या प्राप्त किया गया और वितरण करने वाले और प्राप्त करने वाले सदस्यों को होने वाली किसी भी हानि और/या क्षति की स्थिति में उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार निपटा जाएगा।

6.13 समाशोधन और निपटान की व्यवस्था

6.13.1 सौदों का समाशोधन और निपटान समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों द्वारा प्रभावित होगा, जैसा कि मामला हो सकता है, ऐसी व्यवस्थाओं, प्रणालियों, एजेंसियों या प्रक्रियाओं को अपनाकर और उनका उपयोग करके, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित या निर्दिष्ट किया जा सकता है। समय। उपरोक्त की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर ऐसी अभिरक्षा, निक्षेपागार और अन्य सेवाओं को समाशोधन सदस्यों और उनके घटकों और/या प्रतिभागियों द्वारा गोद लेने और उपयोग करने के लिए निर्धारित या निर्दिष्ट

कर सकता है, जैसा भी मामला हो, सुविधा प्रदान करने के लिए समाशोधन और निपटान व्यवस्था या प्रणाली का सुचारू संचालन।

6.13.2 अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान कार्य किया जा सकता है, या यह ऐसे कार्यों को आउटसोर्स करने के उद्देश्य से प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा पहचाने गए मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम जैसी किसी एजेंसी की सहायता ले सकता है।

6.13.3 उप-नियमों और विनियमों में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, जब निधियों और प्रतिभूतियों को समाशोधित किया जाता है और/या निर्धारित व्यवस्था के तहत निपटान किया जाता है, तो निपटान की जिम्मेदारी पूरी तरह से अनुबंध और/या संबंधित समाशोधन सदस्यों के प्रतिपक्षों पर होगी और / या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, और समाशोधन निगम समाशोधन सदस्यों और / या प्रतिभागियों के सामान्य एजेंट के रूप में कार्य करेगा, जैसा कि मामला हो सकता है, प्रतिभूतियों को प्राप्त करने या देने के लिए और धन प्राप्त करने और भुगतान करने के लिए, बिना खर्च किए एक प्रमुख के रूप में कोई दायित्व या दायित्व।

6.14 समाशोधन के लिए परिचालन पैरामीटर

6.14.1 संबंधित प्राधिकरण समाशोधन निगम के माध्यम से सौदों के समाशोधन के संबंध में समय-समय पर परिचालन मापदंडों का निर्धारण और घोषणा कर सकता है, जिसका समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, पालन करेंगे।

6.14.2 परिचालन मापदंडों में, अन्य बातों के साथ, शामिल हो सकते हैं:

(ए) समाशोधन सीमा की अनुमति है जिसमें निवल मूल्य और पूंजी पर्याप्तता मानदंडों के संदर्भ में समाशोधन सीमा शामिल हो सकती है;

(बी) समाशोधन मात्रा और सीमाएं जिस पर समाशोधन निगम को सूचित करने के लिए समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों के लिए, जैसा भी मामला हो, आवश्यक होगा;

(सी) विभिन्न बंदोबस्त प्रकारों के लिए ढेरों का निर्धारण;

(डी) अन्य मामले जो समाशोधन सदस्यों और जनता के व्यापक हित को ध्यान में रखते हुए सौदों के समाशोधन के सुचारू संचालन को प्रभावित कर सकते हैं;

(ई) किसी विशेष प्रकार के समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागियों के लिए अनुमत प्रकार के सौदों का निर्धारण करना, जैसा भी मामला हो, और सुरक्षा में लेनदेन के लिए;

(एफ) सिस्टम डिजाइन, यूजर इंफ्रास्ट्रक्चर और सिस्टम ऑपरेशन सहित क्लियरिंग एंड सेटलमेंट सिस्टम के कार्यात्मक विवरण का निर्धारण।

6.15 समाशोधन घंटे

6.15.1 समाशोधन निगम के विभिन्न समाशोधन खंडों में सौदों के समाशोधन और निपटान के घंटे ऐसे होंगे जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर तय किए जा सकते हैं। प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर एक समाशोधन खंड और/या विभिन्न समाशोधन खंडों में विभिन्न प्रकार के सौदों के लिए समाशोधन घंटे निर्दिष्ट कर सकते हैं।

6.15.2 संबंधित प्राधिकारी एक कैलेंडर वर्ष में छुट्टियों के रूप में दिनों की संख्या तय कर सकते हैं और ऐसी छुट्टियों की सूची समाशोधन सदस्यों और/या प्रतिभागियों को घोषित कर सकते हैं, जैसा भी मामला हो। संबंधित प्राधिकारी, समय-समय पर इस प्रकार निर्धारित किसी भी अवकाश को बदल या रद्द कर सकता है। प्रासंगिक प्राधिकरण छुट्टियों के अलावा या इसके अलावा अन्य दिनों में समाशोधन और निपटान कार्यों को निलंबित कर सकता है।

6.16 प्रतिभूतियों और निधियों का वितरण

6.16.1 सभी प्रतिभूतियों की सुपुर्दगी और निपटान और सभी सौदों के संबंध में भुगतान उस तरीके से और ऐसे स्थान (स्थानों) पर होगा जैसा कि समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

6.16.2 प्रतिभूतियों आदि के वितरण के लिए मानदंड और प्रक्रियाएं, समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाएंगी।

6.16.3 विवादित सुपुर्दगी निर्धारित करने के लिए आवश्यकताएं और प्रक्रियाएं और उपाय, विवाद को हल करने की प्रक्रिया और प्रणाली या सुपुर्दगी में दोष या ऐसी सुपुर्दगी के परिणाम या उनका समाधान, इन उपनियमों और विनियमों के अधीन, जैसा कि निर्धारित किया जाएगा समय-समय पर संबंधित प्राधिकारी।

6.17 क्लोजिंग आउट

6.17.1 समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किया गया एक सौदा समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागियों की विफलता पर बंद हो सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है, वितरण, भुगतान और सौदों के निपटान से संबंधित किसी भी प्रावधान का पालन करने या किसी भी विफलता पर उन नियमों और शर्तों को पूरा करने के लिए जिनके

अधीन सौदा किया गया है, या ऐसी अन्य परिस्थितियाँ जो संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर निर्दिष्ट कर सकते हैं। क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा सौदे को इस तरह से, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन बंद किया जा सकता है जो संबंधित प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं।

पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित प्राधिकरण, अन्य बातों के साथ-साथ, एक समाशोधन सदस्य या प्रतिभागियों के खिलाफ खरीद या बिक्री करके सौदों को बंद कर सकता है, जैसा कि मामला हो सकता है, जो देय तिथि पर अपने समाशोधन और निपटान दायित्वों को पूरा करने में विफल रहते हैं। तिथि या कोई अन्य दायित्व, और इस तरह के समापन के परिणामस्वरूप होने वाली किसी भी हानि, क्षति या कमी का भुगतान ऐसे समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों द्वारा किया जाएगा, जैसा भी मामला हो।

6.18 प्रतिभूतियों का उधार

6.18.1 उप-नियम 6.17 में निहित कुछ भी होने के बावजूद, नियत तारीख पर निर्दिष्ट प्रतिभूतियों की डिलीवरी को पूरा करने के लिए डिलीवरिंग क्लियरिंग सदस्य/प्रतिभागी की विफलता की स्थिति में, यदि आवश्यक हो, तो समाशोधन निगम इसके द्वारा निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को उधार ले सकता है ऐसे वितरण समाशोधन सदस्य/प्रतिभागी की ओर से इस तरह से, ऐसी समय सीमा के भीतर और ऐसी शर्तों और प्रक्रियाओं के अधीन जो प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकते हैं, और उन्हें प्राप्त करने वाले सदस्य (सदस्य)/प्रतिभागी (ओं) को वितरित करें वितरण पूरा करें। वितरण करने वाले सदस्य/प्रतिभागी संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित समय के भीतर संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित शुल्क और शुल्क के साथ निर्दिष्ट प्रतिभूतियों को वापस कर देंगे।

6.18.2 डिलीवर करने वाले सदस्य/प्रतिभागी द्वारा निर्धारित समय के भीतर क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा अपनी ओर से उधार ली गई प्रतिभूतियों को वापस करने में विफल होने की स्थिति में, क्लियरिंग कॉरपोरेशन डिलीवर करने वाले सदस्य/प्रतिभागी की ओर से प्रतिभूतियों को खरीदेगा और प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित विधि और इस तरह के वितरण सदस्य / प्रतिभागी से ऐसी अन्य फीस और शुल्कों के साथ-साथ संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित की जाने वाली राशि की वसूली कर सकते हैं।

6.18.3 यदि समाशोधन निगम ऐसे उधार देने वाले सदस्य/प्रतिभागी की ओर से वापस की जाने वाली प्रतिभूतियों को खरीदने में विफल रहता है, तो समाशोधन निगम

प्रतिभूतियों के संबंध में उस सीमा तक बंद कर सकता है, जिस सीमा तक यह नहीं किया जा सकता है। प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से खरीदा गया और ऐसे वितरण सदस्य/प्रतिभागी से इस तरह के समापन की राशि और शुल्क वसूल करना।

6.19 दायित्वों को पूरा करने में विफलता

समाशोधन सदस्य या एक प्रतिभागी की स्थिति में, जैसा भी मामला हो, स्वीकृत सौदों के समाशोधन और निपटान संचालन से उत्पन्न होने वाली समाशोधन निगम के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल होने पर, संबंधित प्राधिकरण इस तरह के ब्याज लगा सकता है, इस तरह के दंड और जुर्माना लगा सकता है और समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के विरुद्ध समय-समय पर निर्धारित अनुशासनात्मक कार्रवाई करें। कोई भी अनुशासनात्मक कार्रवाई जो संबंधित प्राधिकरण उपरोक्त के अनुसार करता है, समाशोधन सदस्य या समाशोधन निगम के प्रतिभागी के दायित्वों को प्रभावित नहीं करेगा या कोई उपाय जिसके लिए समाशोधन निगम ऐसे समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के खिलाफ लागू कानून के तहत हकदार हो सकता है .

अध्याय-VII

समाशोधन सदस्यों द्वारा व्यवहार

7.1 क्षेत्राधिकार

समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकार किए गए सभी सौदों को विशेष रूप से मुंबई शहर में दर्ज किया गया माना जाएगा और मुंबई में अदालतों के पास ऐसे सौदों के संबंध में विशेष अधिकार क्षेत्र होगा, जब तक कि अन्यथा स्पष्ट रूप से प्रदान नहीं किया जाता है। संबंधित प्राधिकरण।

7.2 साक्ष्य के लिए रिकॉर्ड

समाशोधन निगम के रिकॉर्ड के रूप में एक केंद्रीय प्रसंस्करण इकाई या प्रसंस्करण इकाइयों या कंप्यूटर प्रसंस्करण इकाइयों के एक समूह द्वारा या किसी अन्य तरीके से बनाए रखा जाता है, समाशोधन निगम के माध्यम से मंजूरी और तय किए गए किसी भी सौदे के संबंध में सहमत और प्रामाणिक रिकॉर्ड का गठन करेगा। समाशोधन निगम के घटकों और समाशोधन सदस्य के बीच या समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों के बीच या समाशोधन सदस्यों और समाशोधन निगम के बीच या समाशोधन सदस्य और सहभागी या सहभागियों के बीच किसी भी विवाद या दावे की स्थिति में se या सौदे के समाशोधन और निपटान के संबंध में प्रतिभागी और समाशोधन निगम के बीच, समाशोधन निगम द्वारा बनाए गए रिकॉर्ड वैध और अंतिम साक्ष्य का गठन करेंगे।

7.3 समाशोधन सदस्य केवल सौदों के लिए पक्ष

जब तक समाशोधन निगम द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, समाशोधन निगम अपने स्वयं के समाशोधन सदस्यों के अलावा किसी अन्य व्यक्ति को सौदा करने के लिए पार्टियों के रूप में मान्यता नहीं देता है। प्रत्येक समाशोधन सदस्य सौदे की उचित पूर्ति के लिए और समाशोधन निगम के लिए उत्तरदायी है जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है, चाहे ऐसा सौदा समाशोधन सदस्य के प्रभाव में हो या किसी घटक के कारण हो।

7.4 नियमों, उपनियमों और विनियमों के अधीन सभी सौदे

सभी सौदे समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन किए जाएंगे और ऐसे नियम, विनियम और उप-नियम ऐसे सभी सौदों के नियमों और शर्तों का एक हिस्सा बनेंगे। सौदे प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों द्वारा उसमें निहित शक्तियों के प्रयोग के अधीन होंगे।

7.5 स्वीकृत सौदों की अनुल्लंघनीयता

1) क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अधीन रेपो में किए गए सभी लेनदेन अनुलंघनीय होंगे और क्लियरिंग कॉरपोरेशन के उपनियमों, नियमों और विनियमों के अनुसार समाशोधन और निपटान किए जाएंगे।
2) उपरोक्त खंड (1) में निहित किसी भी बात के बावजूद, क्लियरिंग कॉरपोरेशन, इस बाजार में सदस्यों/ग्राहकों के हितों की रक्षा के लिए और बाजार के उचित विनियमन के लिए, अचानक घटनाओं के कारण या किसी भी स्थिति में सौदे को रद्द कर सकता है। किसी भी समय यदि संबंधित प्राधिकारी लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से संतुष्ट है कि ऐसा सौदा धोखाधड़ी, भौतिक गलती, गलत बयानी या बाजार हेरफेर या मूल्य हेरफेर और इसी तरह से दूषित है।
3) उपरोक्त खंड (1) और (2) के अनुसार किया गया कोई भी विलोपन अंतिम होगा और सौदा करने वाले पक्षों पर बाध्यकारी होगा।

7.6 प्रतिनिधि समाशोधन सदस्यों द्वारा सौदे

समाशोधन सदस्य प्रासंगिक प्राधिकरण की पूर्व अनुमति के साथ एक निर्दिष्ट अवधि के लिए अपने प्रतिनिधि के रूप में कार्य करने के लिए एक अन्य समाशोधन सदस्य को अधिकृत कर सकता है।

7.6 क्षतिपूर्ति

समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य या समाशोधन सदस्य के नाम पर कार्य करने वाले किसी भी व्यक्ति की किसी भी गतिविधि के लिए उत्तरदायी नहीं होगा, चाहे वह अधिकृत हो या नहीं या प्रतिभागी की किसी भी गतिविधि के लिए, जिसमें समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधित और निपटाए गए सौदे शामिल हैं। और उपनियमों और विनियमों में प्रदान किए गए को छोड़कर और उस सीमा तक।

अध्याय -VIII
मार्जिन और संपार्श्विक

8.1 मार्जिन आवश्यकताएं

8.1.1 संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर मार्जिन की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है, जिसमें क्लियरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग सदस्य और/या प्रतिभागी के रूप में क्लीयरिंग कॉर्पोरेशन और क्लियरिंग सदस्य और/या प्रतिभागी के माध्यम से क्लियर किए गए सौदों के लिए अग्रिम आधार पर मार्जिन (वीएआर मार्जिन सहित) के संग्रह का तरीका शामिल है। मामला हो सकता है, इस तरह के मार्जिन को ऐसी तारीख से पूर्ववर्ती शर्त के रूप में प्रस्तुत करेगा जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है।

8.1.2 प्रत्येक समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, का ऐसे स्तरों पर और ऐसी अवधियों के दौरान मार्जिन बनाए रखने का निरंतर दायित्व है, जैसा कि समाशोधन निगम द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है। क्लीयरिंग मेंबर और/या पार्टिसिपेंट, जैसा भी मामला हो, द्वारा जमा और मेंटेन किए जाने वाले मार्जिन में से, क्लियरिंग मेंबर्स द्वारा अपने खाते में और उनके सदस्यों या प्रतिभागियों की ओर से जमा किए गए मार्जिन, जैसा भी मामला हो, या किसी एक्सचेंज के ट्रेडिंग सदस्यों को क्लियरिंग कॉर्पोरेशन द्वारा इस तरह से अलग किया जाएगा जैसा कि वह उचित समझे।

8.2 मार्जिन का रूप

उप-नियमों और विनियमों के तहत, समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, द्वारा प्रदान किया जाने वाला मार्जिन नकद में होगा। प्रासंगिक प्राधिकारी अपने विवेक से और ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा वह उचित समझे, जमा रसीदें, बैंक (बैंकों) की गारंटी या उसके द्वारा अनुमोदित ऐसी प्रतिभूतियों को मार्जिन के रूप में स्वीकार कर सकता है। जमा रसीदों, बैंक गारंटी/ओं, इसके द्वारा अनुमोदित प्रतिभूतियों जैसे नकदी के किसी भी विकल्प को गिरवी रखा गया और/या दृष्टिबंधक माना जाएगा जैसा भी मामला समाशोधन निगम के पक्ष में हो सकता है।

8.3 मार्जिन की मात्रा

समाशोधन सदस्य और/या सहभागी, जैसा भी मामला हो, प्रतिभूति के रूप में मार्जिन जमा करने वाले को हमेशा उसका मूल्य बनाए रखना चाहिए ताकि वह ऐसे समाशोधन सदस्य द्वारा जमा किए जाने वाले मार्जिन की मात्रा से कम न हो और/

या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो। ऐसी प्रतिभूतियों का मूल्य मार्जिन के स्तर से नीचे जाने की स्थिति में, ऐसे समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, प्रासंगिक प्राधिकारी की संतुष्टि के लिए और सुरक्षा प्रदान करेगा। ऐसे समाशोधन सदस्य और/या प्रतिभागी द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त सुरक्षा के मूल्य को निर्धारित करने के लिए संबंधित प्राधिकारी अकेले हकदार होंगे।

8.4 मार्जिन समाशोधन निगम द्वारा धारित किया जाएगा

मार्जिन समाशोधन निगम द्वारा आयोजित किया जाएगा और जब ऐसा मार्जिन बैंक जमा रसीदों और/या प्रतिभूतियों के रूप में होता है, तो ऐसी जमा रसीदें और/या प्रतिभूतियां ऐसे व्यक्ति/रेत/या संरक्षक और/या को स्थानांतरित की जा सकती हैं। समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदित ऐसी अन्य संस्था। सभी मार्जिन जमा या तो समाशोधन निगम, अनुमोदित व्यक्तियों और/या अभिरक्षक द्वारा, जैसा भी मामला हो, समाशोधन निगम के लिए और समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के किसी भी अधिकार के बिना समाशोधन निगम के खाते में, जैसा भी मामला हो, द्वारा आयोजित किया जाएगा। , इस तरह के मार्जिन या ऐसे अधिकृत व्यक्तियों / संरक्षक को जमा करने के लिए समाशोधन निगम द्वारा इस तरह के विवेक के प्रयोग पर सवाल उठाने के लिए।

8.5 संपार्श्विक

8.5.1 संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों द्वारा समाशोधन निगम के साथ संपार्श्विक जमा करने की आवश्यकताओं को निर्धारित कर सकता है ताकि ऐसे संपार्श्विक के विरुद्ध उपनियमों और विनियमों के तहत अपने स्वयं के / उनके घटकों या प्रतिभागियों के उधार दायित्वों को सुरक्षित किया जा सके।

8.5.2 समाशोधन निगम समय-समय पर पात्र प्रतिभूतियों को निर्दिष्ट कर सकता है जो समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, संपार्श्विक के रूप में प्रदान कर सकते हैं।

8.5.3 समाशोधन निगम समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों द्वारा जमा किए गए ऐसे संपार्श्विक का मूल्यांकन कर सकता है और हेयरकट के आवेदन के बाद उस मूल्य पर पहुंचेगा जिस तक समाशोधन सदस्य या प्रतिभागियों का रेपो लेनदेन में जोखिम हो सकता है। समाशोधन निगम समाशोधन सदस्यों और/या उनके घटकों के बकाया पदों का समर्थन करने के लिए संपार्श्विक मूल्य की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए

नियमित रूप से और दिन के अंत में, जब भी आवश्यक हो, संपार्श्विक इंट्रा-डे का मार्क-टू-मार्केट मूल्यांकन कर सकता है। प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो।

8.5.4 समाशोधन निगम समाशोधन निगम को अग्रिम नोटिस देकर समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों को अन्य योग्य प्रतिभूतियों के साथ प्रतिभूतियों को वापस लेने या प्रतिस्थापित करने की अनुमति दे सकता है, बशर्ते कि ऐसी योग्य प्रतिभूतियों का मूल्य इस शर्त के अधीन हो कि ऐसी निकासी या प्रतिस्थापन के बाद शेष संपार्श्विक समाशोधन सदस्यों और/या उनके या घटकों या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो, के बकाया पदों को कवर करने के लिए पर्याप्त है।

8.5.5 समाशोधन निगम संबंधित समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों को पात्र प्रतिभूतियों के कूपन और/या मूलधन के मोचन का भुगतान कर सकता है, जैसा भी मामला हो, समाशोधन निगम द्वारा प्राप्त होने पर शेष पात्र का मूल्य प्रदान करता है प्रतिभूतियाँ संबंधित समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों के बकाया पदों के मूल्य के बराबर या उससे अधिक होंगी, जैसा भी मामला हो।

8.6 मार्जिन पर ग्रहणाधिकार

समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, द्वारा भुगतान या जमा किया गया नकद या उसका विकल्प, मार्जिन के रूप में समाशोधन निगम के कारण सभी राशियों के लिए प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होगा। समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के खिलाफ अन्य सभी दावों की प्राथमिकता में मार्जिन उपलब्ध होगा, जैसा कि मामला हो सकता है, नियमों, उपनियमों और नियमों के अधीन किए गए किसी भी सौदे से उत्पन्न होने वाले या आकस्मिक दायित्वों की पूर्ति के लिए। समाशोधन निगम के विनियम या उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य।

8.7 संपार्श्विक पर ग्रहणाधिकार

समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी द्वारा जमा की गई पात्र प्रतिभूतियां, जैसा भी मामला हो, संपार्श्विक के रूप में समाशोधन निगम को समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, के कारण सभी राशियों के लिए प्रथम और सर्वोपरि ग्रहणाधिकार के अधीन होगा। समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के खिलाफ अन्य सभी दावों के लिए संपार्श्विक उपलब्ध होगा, जैसा कि मामला हो सकता है, अपने दायित्वों और देनदारियों की उचित पूर्ति के लिए या नियमों, उपनियमों के अधीन किए गए किसी भी सौदे से उत्पन्न होने वाली देनदारियों के लिए उपलब्ध होगा। समाशोधन निगम के विनियम या उसके अनुसरण में किया गया कोई भी कार्य।

8.8 दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए उपयोगिता

इन उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए ऐसे सौदों के समाशोधन और निपटान संचालन से उत्पन्न समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी समाशोधन निगम के लिए अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल होने की स्थिति में, संबंधित प्राधिकरण भुगतान की गई किसी भी राशि का उपयोग करने का हकदार होगा। समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी द्वारा, जैसा भी मामला हो, समाशोधन निगम को या तो मार्जिन, जमा, सुरक्षा या संपार्श्विक के रूप में या किसी अन्य रूप में या समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन के उद्देश्य से रखे गए किसी अन्य भुगतान के रूप में और उप-नियम 9.11 के अधीन ऐसे समाशोधन सदस्य के सौदों का निपटान।

8.9 मार्जिन आवश्यकताओं की चोरी निषिद्ध है

समाशोधन सदस्य उपनियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मार्जिन आवश्यकताओं से बचने या सहायता करने के उद्देश्य से प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी समझौते/व्यवस्था में प्रवेश नहीं करेगा या किसी भी तरीके को नहीं अपनाएगा।

8.10 मार्जिन का भुगतान करने में विफलता पर निलंबन

यदि समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी, जैसा भी मामला हो, उप-नियमों और विनियमों में अपेक्षित मार्जिन का भुगतान करने में विफल रहता है, तो संबंधित प्राधिकारी ऐसी कार्रवाई कर सकता है जो वह ऐसे समाशोधन सदस्य या प्रतिभागी के निलंबन सहित उपयुक्त समझे। इस तरह के समाशोधन सदस्य या प्रतिभागियों, जैसा भी मामला हो।

8.11 ब्याज, लाभांश और कॉल

8.11.1 प्राप्तकर्ता सदस्य/प्रतिभागी सभी कूपन, नकद बोनस, या कोई भी विशेषाधिकार जो खरीदी गई प्रतिभूतियों, सह कूपन आदि से संबंधित हो सकता है, प्राप्त करने का हकदार होगा। वितरण करने वाले सदस्य/प्रतिभागी को ऐसे सभी कूपन और अन्य प्रदान करने की आवश्यकता होगी विशेषाधिकार जो बेची गई प्रतिभूतियों, एक्स-कूपन आदि से संबंधित हो सकते हैं।

8.11.2 समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों के बीच कूपन और अन्य विशेषाधिकारों के संबंध में समायोजन के तरीके, मोड, सूचना आवश्यकताओं, परिवर्तन, तिथि और समय आदि, संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किए जाएंगे। उप-कानूनों और विनियमों में अन्यथा प्रदान किए जाने के अलावा, समाशोधन सदस्य इस तरह

के समायोजन को प्रभावित करने के लिए स्वयं और उनके घटकों के बीच जिम्मेदार होंगे।

8.11.3 प्रतिभूतियों में एक सौदे के संबंध में जो पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की एक योजना के तहत नई या अन्य प्रतिभूतियों के लिए बन जाएगा या विनिमेय होगा, वितरित करने वाला सदस्य/प्रतिभागी संबंधित प्राधिकरण के निर्देश के अनुसार प्राप्तकर्ता सदस्य/प्रतिभागी को वितरित करेगा। , पुनर्निर्माण या पुनर्गठन की ऐसी योजना के तहत या तो प्रतिभूतियों और/या नकदी और/या अन्य प्राप्य संपत्ति के लिए अनुबंधित प्रतिभूतियां या समकक्ष।

8.12 समाशोधन शुल्क

प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर समाशोधन सदस्यों या सौदों के निपटान के संबंध में समाशोधन सदस्यों या प्रतिभागियों पर लगाए जाने वाले शुल्क, शुल्क और वसूली निर्धारित कर सकते हैं और ऐसे समाशोधन सदस्य या समाशोधन निगम के प्रतिभागी द्वारा देय किसी भी देय राशि के संबंध में।

8.13 ग्राहकों से मार्जिन और संपार्श्विक

इस अध्याय VIII में निहित कुछ भी होने के बावजूद, समाशोधन निगम सीधे समाशोधन सदस्यों के घटकों से मार्जिन और संपार्श्विक स्वीकार कर सकता है। समाशोधन निगम के साथ सीधे घटकों द्वारा मार्जिन और संपार्श्विक जमा करने की स्थिति में, इस अध्याय VIII के प्रावधान जिसमें नुस्खे, मार्जिन और संपार्श्विक का जमा, मार्जिन और संपार्श्विक का उपयोग और निकासी शामिल है, ऐसे घटकों पर लागू होंगे जैसे कि वे थे इस अध्याय VIII के प्रयोजन के लिए समाशोधन सदस्य। बशर्ते, पूर्वगामी के बावजूद, समाशोधन सदस्य मुख्य रूप से घटक के सौदों के समाशोधन और निपटान के लिए जिम्मेदार होगा और निर्वाचकों के किसी भी दायित्वों के लिए समाशोधन निगम के प्रति उत्तरदायी होगा। हालांकि, यदि अपने रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान के दौरान समाशोधन सदस्य के घटक से कोई पैसा या दायित्व हैं, तो समाशोधन निगम भुगतान के लिए समाशोधन निगम के साथ सीधे घटक द्वारा जमा किए गए मार्जिन या संपार्श्विक का उपयोग करने का हकदार होगा। समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित की जा सकने वाली आवश्यकताओं के अधीन घटक से देय ऐसे धन या दायित्वों के लिए ऐसे समाशोधन सदस्य को।

अध्याय-IX

समाशोधन करने वाले सदस्यों और घटकों के अधिकार, कर्तव्य और दायित्व

9.1 घटकों से मार्जिन

एक समाशोधन सदस्य को अपने घटक से उस मार्जिन की मांग करने का अधिकार होगा जो उसे इस तरह के घटक के लिए किए गए व्यवसाय के संबंध में नियमों, उपनियमों और विनियमों के तहत प्रदान करना है। समाशोधन सदस्य को यह भी अधिकार होगा कि वह अपने दायित्वों को पूरा करने का वचन देने से पहले नकद में प्रारंभिक मार्जिन या अपने घटकों से नकदी के विकल्प की मांग कर सकता है और यह निर्धारित कर सकता है कि ग्राहक समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट मार्जिन का भुगतान करेगा या अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करेगा। नियमों, उप-नियमों और विनियमों के तहत समाशोधन सदस्य द्वारा ऐसा करने के लिए कहे जाने पर घटक समाशोधन सदस्य को मार्जिन का भुगतान करेगा या अतिरिक्त मार्जिन प्रस्तुत करेगा।

9.2 डिफ़ॉल्ट में घटक

9.2.1 एक समाशोधन सदस्य प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से किसी ऐसे संघटक के लिए व्यापार नहीं करेगा जो उसकी जानकारी में किसी अन्य समाशोधन सदस्य के लिए चूककर्ता है, जब तक कि ऐसे संघटक ने समाशोधन सदस्य के लिए ऐसे संघटक के लिए कार्य करने का प्रस्ताव करने के लिए संतोषजनक व्यवस्था नहीं की होगी कि ऐसे संघटक ने या समाशोधन सदस्य के दावे का निपटान करेगा जो इसका लेनदार है।

9.2.2 एक लेनदार समाशोधन सदस्य के आवेदन पर, जिसने नियमों, उप-नियमों और विनियमों में प्रदान किए गए डिफ़ॉल्ट घटक के खिलाफ अपने दावे को संदर्भित किया है या मध्यस्थता के लिए संदर्भित किया है, संबंधित प्राधिकरण किसी भी समाशोधन सदस्य के खिलाफ आदेश जारी करेगा जो उन्हें रोक रहा है डिफॉल्टिंग कंस्टीट्यूशन को किसी भी पैसे या सिक्योरिटीज को भुगतान करने या डिलीवर करने से लेकर लेनदार क्लियरिंग मेंबर के क्लेयर से अधिक नहीं होने वाली राशि या सिक्योरिटीज क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन डील के संबंध में डिफॉल्टिंग मेंबर का दावा देय या डिलीवर करने योग्य है। , कौन सी धनराशि और प्रतिभूतियाँ समाशोधन निगम के पास जमा की जाएँगी। इस तरह जमा किए गए धन और प्रतिभूतियों को मध्यस्थता में निर्णय के संदर्भ में निपटाया जाएगा और लंबित डिक्री को संबंधित अदालत में जमा किया जाएगा जहां इस तरह के पुरस्कार को

चुनौती देने की कार्यवाही शुरू की गई है, जब तक कि लेनदार समाशोधन सदस्य और चूककर्ता घटक पारस्परिक रूप से अन्यथा सहमत न हों।

9.3 क्लियरिंग मेंबर को स्टाम्प ड्यूटी लेने का अधिकार

समाशोधन सदस्य द्वारा किए गए रेपो लेनदेन के लिए देय स्टाम्प शुल्क, हस्तांतरण शुल्क और अन्य शुल्क घटक द्वारा वहन किए जाएंगे।

9.4 घटक द्वारा शिकायत

जब एक घटक द्वारा संबंधित प्राधिकरण के पास शिकायत दर्ज की जाती है कि कोई समाशोधन सदस्य उसके निर्देशों के अनुसार प्रदर्शन करने में विफल रहा है, तो संबंधित प्राधिकरण शिकायत की जांच करेगा और यदि यह संतुष्ट है कि शिकायत उचित है तो वह इस तरह की अनुशासनात्मक कार्रवाई कर सकता है। यह समाशोधन सदस्य के खिलाफ उचित लगता है।

9.5 समाशोधन सदस्य और घटक के बीच संबंध

इस समय लागू किसी भी अन्य कानून के प्रति पूर्वाग्रह के बिना और इन उप-नियमों के अधीन, समाशोधन सदस्यों और उनके घटकों के बीच परस्पर अधिकार और दायित्व ऐसे होंगे जैसा कि संबंधित प्राधिकरण और/या नियामक द्वारा वर्णित किया जा सकता है। समय - समय पर।

9.6 शिकायत का निवारण

जब एक समाशोधन सदस्य के खिलाफ एक घटक द्वारा, या संबंधित प्राधिकारी द्वारा इसकी ओर से शिकायत दर्ज की गई है कि ऐसे समाशोधन सदस्य अपने व्यवहार में या अपने दायित्वों को पूरा करने में संतोषजनक रूप से विफल रहे हैं, तो ऐसी शिकायत को प्राधिकरण के पास ले जाया जाएगा। समाशोधन सदस्य और 7 दिनों के भीतर या समय-समय पर नियामक द्वारा निर्दिष्ट समय के भीतर शिकायत के अनसुलझे रहने पर, शिकायत को शिकायत निवारण समिति या ऐसी अन्य समिति के समक्ष शिकायत के निवारण के लिए इस तरह की प्रक्रिया के अनुसार रखा जाएगा। समय-समय पर नियामक द्वारा निर्दिष्ट;

व्याख्या:

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, "घटक" शब्द का अर्थ एक ट्रेडिंग सदस्य भी होगा, जिसके निर्देश पर और/या जिसके खाते में क्लियरिंग सदस्य सौदे को मंजूरी देता है और निपटाता है।

9.7 चूक/दिवालियापन/दिवालियापन/विघटन की स्थिति में क्लोजिंग-आउट

एक समाशोधन सदस्य समाशोधन निगम से एक घटक या एक व्यापारिक सदस्य के खाते में सभी खुले लेनदेन को बंद करने का अनुरोध कर सकता है, जब वह चूक करता है या वह दिवालिया हो जाता है या दिवालिया हो जाता है या अपने लेनदारों के साथ या उनमें से किसी के साथ समझौता करने का प्रयास करता है। या जिसने कोई स्वीकारोक्ति या सूचना दी हो या इस तथ्य का संकेत दिया हो कि वह अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ होगा या जो किसी फर्म के विघटन से गुजरने की स्थिति में होगा।

9.8 समाशोधन सदस्यों द्वारा निधियों और प्रतिभूतियों को जारी करना

एक समाशोधन सदस्य निधियों और प्रतिभूतियों का भुगतान इस तरह से करेगा ताकि नियामक/समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित इस संबंध में सभी प्रासंगिक आवश्यकताओं का पूर्ण और समय पर अनुपालन सुनिश्चित किया जा सके।

9.9 गोपनीयता बनाए रखी जानी चाहिए

समाशोधन निगम घटकों के विवरण को गोपनीय रखेगा और यह कानून या किसी प्राधिकरण द्वारा आवश्यक के अलावा किसी भी व्यक्ति/संस्था को ऐसे विवरण का खुलासा नहीं करेगा।

9.10 समाशोधन सदस्य द्वारा कुछ पदों का स्थानांतरण

समाशोधन निगम स्वप्रेरणा से या किसी निलंबित, निष्कासित या डिफॉल्टर समाशोधन सदस्य के सदस्य के आवेदन पर या ऐसे नियमों और शर्तों पर, जैसा कि समाशोधन निगम लागू करने के लिए उपयुक्त समझे, समाशोधन सदस्य की सभी या किसी भी खुली स्थिति की अनुमति दे सकता है। (चाहे स्वयं के खाते में या उसके घटक के कारण) या घटक को किसी अन्य समाशोधन सदस्य को स्थानांतरित किया जाना चाहिए जो इस तरह के खुले पदों को स्वीकार करने के लिए सहमत हो।

9.11 देय राशि का पृथक्करण

समाशोधन सदस्य के घटक के खाते, एक एक्सचेंज के व्यापारिक सदस्य जिनके लिए समाशोधन सदस्य एक समाशोधन सदस्य के रूप में कार्य कर रहा है और एक एक्सचेंज के ऐसे व्यापारिक सदस्यों के ग्राहकों को एक दूसरे से अलग किया जाएगा और जमा राशि और संपत्ति समाशोधन सदस्य या एक घटक के डेबिट और क्रेडिट को किसी अन्य घटक या समाशोधन सदस्य के क्रेडिट या डेबिट के विरुद्ध समायोजित नहीं किया जाएगा और एक ग्राहक या समाशोधन सदस्य के धन या संपत्ति का उपयोग किसी अन्य घटक या समाशोधन सदस्य के बकाये के भुगतान के लिए नहीं किया जाएगा। समाशोधन सदस्य द्वारा अपने खाते में देय दायित्वों का भुगतान नहीं

किया जाएगा या किसी एक्सचेंज के किसी घटक या ट्रेडिंग सदस्यों के धन/संपत्ति से पूरा नहीं किया जाएगा। हालांकि समाशोधन निगम द्वारा समाशोधन सदस्य (स्वयं के खाते पर) को देय/वितरण योग्य राशि या परिसंपत्तियां समाशोधन सदस्य या समाशोधन सदस्य या किसी एक्सचेंज के किसी भी व्यापारिक सदस्य द्वारा देय राशि/परिसंपत्ति के भुगतान के लिए लागू हो सकती हैं। (जिनके लेन-देन को समाशोधन सदस्य ने स्पष्ट करने के लिए सहमति व्यक्त की थी) या किसी एक्सचेंज के ऐसे व्यापारिक सदस्यों का कोई ग्राहक, समाशोधन निगम या कोई सदस्य या समाशोधन सदस्य का कोई सदस्य या किसी विनिमय के किसी भी व्यापारिक सदस्य (जिसका लेन-देन समाशोधन सदस्य ने किया था) साफ करने पर सहमत हुए)।

अध्याय-X

विवाद समाधान

10.1 समाशोधन निगम के संचालन से उत्पन्न होने वाले या उसके संबंध में समाशोधन सदस्यों के बीच सभी दावे, अंतर या विवाद, जिसमें समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट लेनदेन, अनुबंध या लेनदेन के संबंध में शामिल हैं या समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट और उपनियमों के अधीन बनाया गया है , नियम और विनियम या किसी भी प्रासंगिक चीज के संदर्भ में या उसके अनुसरण में या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या पार्टियों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों से संबंधित और इस तरह के व्यवहार, लेनदेन और अनुबंधों के किसी भी प्रश्न सहित इन उप-कानूनों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार विवाद समाधान के लिए दर्ज किया गया है या नहीं।

10.2 समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य और उसके सदस्यों के बीच किसी भी विवाद के लिए जिम्मेदार नहीं होगा। बशर्ते हालांकि, समाशोधन सदस्य और घटक के बीच किसी भी विवाद को एक विवाद समाधान तंत्र के माध्यम से निपटाया जाएगा जैसा कि इस अध्याय X के उप-नियम 10.6 के तहत प्रदान किया जा सकता है।

10.3 एक ओर समाशोधन सदस्य(सदस्यों) और दूसरी ओर समाशोधन निगम के बीच सभी दावे, अंतर या विवाद, जो लेनदेन, अनुबंध या लेनदेन के निपटान के संबंध में उत्पन्न होते हैं या समाशोधन निगम द्वारा निर्दिष्ट या संदर्भ के अनुसार रिपोर्ट किए जाते हैं किसी भी प्रासंगिक चीज के लिए या उसके अनुसरण में या उनकी वैधता, निर्माण, व्याख्या, पूर्ति या पार्टियों के अधिकारों, दायित्वों और देनदारियों से संबंधित और इस तरह के व्यवहार, लेनदेन और अनुबंधों में प्रवेश किया गया है या नहीं, के किसी भी प्रश्न सहित सेबी द्वारा निर्धारित और विनियमों में समाशोधन निगम द्वारा अपनाए गए विवाद समाधान तंत्र द्वारा संदर्भित और हल किया गया।

व्याख्या:

इस उप-नियम के प्रयोजन के लिए, एक ओर समाशोधन सदस्य (सदस्यों) और दूसरी ओर समाशोधन निगम के बीच दावे, मतभेद या विवाद शामिल हैं, एक ओर प्रतिभागी (ओं) के बीच दावे, मतभेद या विवाद शामिल हैं और दूसरी ओर समाशोधन निगम और प्रतिभागी और समाशोधन निगम के बीच विवाद की स्थिति में, प्रतिभागी ऐसे दावों, मतभेदों या विवादों को अपने समाशोधन सदस्य के माध्यम से उठाएगा और उसी के उद्देश्य के लिए विवाद समाधान से संबंधित प्रावधानों के बीच समाशोधन सदस्य और समाशोधन निगम यथोचित परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

10.4 समाशोधन सदस्यों के बीच विवाद समाधान के लिए किसी भी दावे, मतभेद या विवाद की स्थिति में, जैसा कि इस अध्याय के ऊपर उप-नियम 10.1 में निर्धारित किया गया है, ऐसे दावे, अंतर या विवाद को विवादों के समाधान के लिए पैनल में भेजा जाएगा ("पैनल ") विवाद के पक्षकार होने वाले समाशोधन सदस्यों के अलावा कम से कम तीन समाशोधन सदस्यों से मिलकर बनता है। पैनल का निर्णय अंतिम और विवाद के पक्षों के लिए बाध्यकारी होगा। एक सदस्य, यदि पैनल के निर्णय से संतुष्ट नहीं है तो वह पीएसएस अधिनियम के तहत प्रदान किए गए उपाय का लाभ उठा सकता है।

10.5 समाशोधन निगम, सेबी द्वारा निर्धारित विवाद समाधान तंत्र के अधीन, समय-समय पर उन मामलों के लिए विनियम निर्धारित कर सकता है, जो समाशोधन निगम की राय में समाशोधन सदस्यों के बीच विवाद समाधान की सुविधा के लिए विनियमों से निपटने के लिए आवश्यक हैं। समाशोधन निगम विवाद में पार्टियों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया सहित, लेकिन इतनी ही सीमित नहीं है, विवाद समाधान कार्यवाही आयोजित करने में पैनल द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया। समाशोधन निगम समय-समय पर विनियमों के प्रावधानों में संशोधन, संशोधन, परिवर्तन, निरसन या जोड़ सकता है।

10.6 समाशोधन निगम, सेबी द्वारा निर्धारित विवाद समाधान तंत्र के अधीन, समय-समय पर उन मामलों के लिए विनियम निर्धारित कर सकता है, जो समाशोधन निगम की राय में समाशोधन सदस्यों और मध्यस्थों के पैनल का गठन, विवाद में पक्षों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया, विवाद समाधान कार्यवाही के संचालन में मध्यस्थों द्वारा पालन की जाने वाली प्रक्रिया सहित घटक, लेकिन यहीं तक सीमित नहीं हैं। समाशोधन निगम समय-समय पर विनियमों के प्रावधानों में संशोधन, संशोधन, परिवर्तन, निरसन या जोड़ सकता है।

10.7 पैनल के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

प्रत्येक समाशोधन सदस्य, जिससे पैनल में एक सदस्य के रूप में इसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, समाशोधन निगम को लिखित रूप में ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलासा करेगा जो इसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के रूप में न्यायोचित संदेह पैदा करने की संभावना है, विशेष रूप से जब कोई विवाद पैनल को भेजा जाता है। . यदि व्यक्ति किसी ऐसी परिस्थिति का खुलासा करता है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की राय में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है, तो वह ऐसे विवाद के संबंध में पीआरडी का सदस्य नहीं होगा।

10.8 पैनल के सदस्यों के रूप में नियुक्त व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

एक समाशोधन सदस्य, पैनल में अपनी नियुक्ति के समय से और विवाद समाधान की कार्यवाही के दौरान, बिना किसी देरी के, पक्षकारों और समाशोधन निगम को उपरोक्त उपनियम 10.7 में संदर्भित किन्हीं भी परिस्थितियों के बारे में लिखित रूप में प्रकट करेगा, जो इसकी जानकारी में आई हैं। पैनल के सदस्य के रूप में नियुक्ति के बाद।

10.9 पैनल के सदस्य के कार्यकाल की समाप्ति

पैनल पर सदस्य का कार्यकाल समाप्त हो जाएगा:

(ए) यदि ऐसा समाशोधन सदस्य किसी भी कारण से पैनल के कार्यालय से हट जाता है; या

(बी) जहां ऐसे समाशोधन सदस्य उपनियमों और नियमों के अनुसार प्रदर्शन करने में असमर्थ हैं; या

(ग) नियुक्ति की तारीख से एक वर्ष पूरा होने पर; या

(डी) ऐसे समाशोधन सदस्य उपनियम 10.8 या 10.9 में उल्लिखित किसी भी परिस्थिति का खुलासा करते हैं;

10.10 मध्यस्थों के रूप में नियुक्त किए जाने वाले व्यक्तियों द्वारा प्रकटीकरण

मध्यस्थों के पैनल का प्रत्येक व्यक्ति, जिसे समाशोधन सदस्य और घटक के बीच विवाद समाधान के मामले में मध्यस्थ के रूप में इसकी संभावित नियुक्ति के संबंध में संपर्क किया जाता है, या यदि इस तरह की विवाद समाधान कार्यवाही के दौरान नियुक्त किया जाता है, तो लिखित रूप में समाशोधन निगम को किसी भी संभावित परिस्थितियों का खुलासा करेगा। अपनी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के बारे में उचित संदेह को जन्म देने के लिए विशेष रूप से जब किसी विवाद को मध्यस्थ के पास भेजा जाता है। यदि व्यक्ति ऐसी किसी भी परिस्थिति का खुलासा करता है जो क्लियरिंग कॉर्पोरेशन की राय में उसकी स्वतंत्रता और निष्पक्षता के संबंध में उचित संदेह पैदा करने की संभावना है, तो उसे ऐसे विवाद के संबंध में मध्यस्थ के रूप में नियुक्त या कार्य नहीं किया जाएगा।

10.11 प्रशासनिक सहायता

विवाद समाधान कार्यवाही के सुचारू संचालन की सुविधा के लिए, समाशोधन निगम ऐसी प्रशासनिक सहायता प्रदान करेगा जो सभी दावों, मतभेदों या विवादों के संबंध में विवाद समाधान के उचित संचालन के लिए आवश्यक हो सकती है, जो मध्यस्थों के

पैनल को प्रस्तुत किए जाते हैं, जैसा भी मामला हो , इन उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार।

10.12 विवाद समाधान का स्थान

विवाद समाधान के संबंध में सभी कार्यवाहियां मुंबई में आयोजित की जाएंगी, जब तक कि समाशोधन निगम द्वारा इस संबंध में पैनल या मध्यस्थों, जैसा भी मामला हो, के साथ परामर्श के बाद अन्यथा निर्दिष्ट न किया गया हो।

10.13 नियामक के निर्देश

यहां निहित कुछ भी होने के बावजूद, विवाद समाधान तंत्र के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के परामर्श से सेबी द्वारा जारी किसी भी दिशा या परिपत्र या नियम या दिशानिर्देश को इस अध्याय का हिस्सा माना जाएगा और प्रावधानों के साथ किसी भी असंगतता की स्थिति में यह अध्याय, ऐसा निर्देश या परिपत्र या नियम या दिशानिर्देश इस अध्याय X में निर्धारित अन्य प्रावधानों पर प्रबल होगा।

इन उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों को प्रभावी करने के उद्देश्य से इन उपनियमों के तहत एक संदर्भ के लिए सभी पार्टियों को मुंबई में अदालतों के विशेष अधिकार क्षेत्र में जमा करने के लिए माना जाएगा।

अध्याय - XI

चूककर्ता

11.1 चूक की घोषणा

समाशोधन सदस्य को संबंधित प्राधिकरण के निर्देश/परिपत्र/अधिसूचना द्वारा चूककर्ता घोषित किया जा सकता है यदि:

11.1.1 यह अपने समाशोधन या निपटान दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है; या

11.1.2 यह अपने कर्तव्यों, दायित्वों और देनदारियों को पूरा करने या निर्वहन करने में असमर्थता स्वीकार या प्रकट करता है; या

11.1.3 नियमों, उप-नियमों और विनियमों के तहत इसके खिलाफ प्रभावी क्लोजिंग-आउट के कारण यह निर्दिष्ट समय के भीतर नुकसान और धन अंतर का भुगतान करने में विफल रहता है या असमर्थ है; या

11.1.4 यह कोर सेटलमेंट गारंटी फंड के लिए इसके द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी समय-समय पर निर्धारित कर सकता है; या

11.1.5 यह समाशोधन सदस्य के कारण सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों का भुगतान करने या वितरित करने में विफल रहता है, जिसे ऐसे समाशोधन सदस्य के चूक की घोषणा के समय के भीतर और संबंधित प्राधिकारी के रूप में ऐसे व्यक्ति को चूककर्ता घोषित किया जा सकता है। प्रत्यक्ष; या

11.1.6 यह नियमों, उपनियमों और विनियमों के तहत निर्धारित मध्यस्थता पुरस्कार का पालन करने में विफल रहता है; या

11.1.7 एक समाशोधन सदस्य जिसके संबंध में लागू कानूनों के तहत अधिस्थगन लगाया गया है;

11.1.8 एक समाशोधन सदस्य जिसे दिवालिया घोषित किया गया है या स्वैच्छिक परिसमापन का विकल्प चुना गया है, जैसा भी मामला हो, लागू कानूनों के तहत, इसे स्वतः ही एक चूककर्ता घोषित किया जाएगा, भले ही उसने समाशोधन पर अपने किसी भी दायित्व पर चूक न की हो निगम।

11.1.9 किसी भी अन्य परिस्थितियों में जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर तय किया जा सकता है।

11.1.10 उप-नियम 11.1 में निहित पूर्वगामी प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, जहां समाशोधन सदस्य, जो किसी भी एक्सचेंज का एक व्यापारिक सदस्य भी है, को इस तरह के एक्सचेंज द्वारा चूककर्ता घोषित किया जाता है, उक्त समाशोधन सदस्य वास्तव में चूककर्ता घोषित किया जाएगा संबंधित प्राधिकरण।

11.2 समाशोधन सदस्य का सूचित करने का कर्तव्य

समाशोधन सदस्य उप-नियम 11.1 में निर्धारित किसी भी घटना के घटित होने या किसी समाशोधन सदस्य द्वारा अपनी देनदारियों को पूर्ण रूप से निर्वहन करने में विफल होने पर तुरंत समाशोधन निगम को सूचित करने के लिए बाध्य होगा।

11.3 समझौता निषिद्ध

समाशोधन सदस्य किसी भी समाशोधन सदस्य से समाशोधन निगम के माध्यम से समाशोधित सौदे से उत्पन्न ऋण के निपटान में पूर्ण और वास्तविक धन भुगतान से कम कुछ भी स्वीकार नहीं करेगा।

11.4 चूक की घोषणा की सूचना

समाशोधन सदस्य को चूककर्ता घोषित किए जाने पर संबंधित प्राधिकारी द्वारा समाशोधन निगम के अन्य सभी समाशोधन सदस्यों को तुरंत एक नोटिस जारी किया जाएगा।

11.5 एक्सचेंज को नोटिस

समाशोधन सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किए जाने पर, यदि डिफॉल्टर ऐसे एक्सचेंज (एक्सचेंजों) का ट्रेडिंग सदस्य है, तो प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा एक्सचेंज को तुरंत एक नोटिस जारी किया जाएगा।

11.6 चूककर्ताओं की पुस्तकें और दस्तावेज

जब समाशोधन सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जाता है, तो संबंधित प्राधिकरण अपने मामलों की स्थिति का पता लगाने के लिए अपने सभी खातों की पुस्तकों, दस्तावेजों, कागजात और वाउचर को अपने कब्जे में लेने का हकदार होगा और डिफॉल्टर ऐसी किताबें, दस्तावेज, कागजात और सौंप देगा। प्रासंगिक प्राधिकरण के लिए वाउचर।

11.7 देनदारों और लेनदारों की सूची

डिफॉल्टर प्रासंगिक प्राधिकरण के साथ ऐसे समय के भीतर एक डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण निर्देशित कर सकता है, एक लिखित बयान जिसमें उसके देनदारों और लेनदारों की पूरी सूची और उनमें से प्रत्येक के लिए डिफॉल्टर क्लियरिंग सदस्य द्वारा बकाया राशि शामिल है।

11.8 सूचना देने में चूककर्ता

चूककर्ता प्रासंगिक प्राधिकारी को खातों का विवरण, जानकारी और अपने मामलों के विवरण प्रस्तुत करेगा, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर आवश्यक हो सकता है और यदि ऐसा है, तो संबंधित प्राधिकरण के सामने अपनी चूक के संबंध में आयोजित बैठकों में उपस्थित होना होगा।

11.9 पूछताछ

प्रासंगिक प्राधिकरण बाज़ार में डिफॉल्टर के खातों और लेन-देन की जांच करेगा, जिसमें किसी भी अनुचित, गैर-व्यवसायिक या समाशोधन सदस्य के अशोभनीय के संबंध में पूछताछ शामिल है, जो उसकी जानकारी में आ सकता है।

11.10 चूककर्ता की संपत्ति

प्रासंगिक प्राधिकरण किसी भी रूप में सुरक्षा जमा, मार्जिन मनी, जमा की गई अन्य राशियों और डिफॉल्टर द्वारा जमा की गई प्रतिभूतियों को कॉल करेगा और वसूल करेगा और किसी भी व्यक्ति द्वारा डिफॉल्टर को देय, देय या वितरित किए जाने वाले सभी पैसे, प्रतिभूतियों और अन्य परिसंपत्तियों की वसूली करेगा। समाशोधन निगम के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन किए गए किसी भी सौदे या सौदे के संबंध में अन्य समाशोधन सदस्य और इस तरह की संपत्ति किसी भी समाशोधन सदस्य को चूककर्ता के रूप में घोषित किए जाने पर, लाभ के लिए समाशोधन निगम में स्वयं निहित होगी। समाशोधन निगम, नियामक, अन्य समाशोधन सदस्य, चूककर्ता के घटक, अनुमोदित बैंक और संबंधित प्राधिकरण और अन्य स्टॉक एक्सचेंजों / समाशोधन निगम द्वारा अनुमोदित किसी अन्य व्यक्ति के खाते में।

11.11 संबंधित प्राधिकारी को भुगतान

(ए) डिफॉल्टर को देय, देय या सुपुर्दगी योग्य सभी धन, प्रतिभूतियां और अन्य परिसंपत्तियां संबंधित प्राधिकरण को भुगतान या सुपुर्दगी उस समय के भीतर होनी चाहिए जब क्लियरिंग सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किया जा सकता है, जैसा

कि संबंधित प्राधिकरण निर्देश दे सकता है। इस प्रावधान का उल्लंघन करने वाले समाशोधन सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जा सकता है।

(बी) समाशोधन सदस्य, जिसने खाते में अंतर प्राप्त किया होगा या ऐसे खाते या सौदे को निपटाने के लिए निर्धारित तिथि से पहले किसी भी सौदे में कोई प्रतिफल प्राप्त किया होगा, समाशोधन सदस्य की स्थिति में जिससे उसे इस तरह का अंतर प्राप्त हुआ होगा या डिफाल्टर घोषित किए जाने पर, लाभ के लिए और लेनदार सदस्यों के खाते में संबंधित प्राधिकरण को वापस कर दें। कोई भी समाशोधन सदस्य जिसने इस तरह के निपटान के दिनों से पहले किसी अन्य समाशोधन सदस्य को इस तरह के अंतर या विचार का भुगतान किया है या दिया है, फिर से लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को भुगतान करेगा या चूक की स्थिति में लेनदार सदस्य के खाते में देगा। ऐसे अन्य सदस्य की।

(सी) समाशोधन सदस्य जो किसी अन्य समाशोधन सदस्य से किसी दावा नोट या क्रेडिट नोट को समाशोधन के दौरान प्राप्त करता है जो इसके कारण या इसके घटक के कारण अंतर के अलावा अन्य राशि का प्रतिनिधित्व करता है, जो कि उसके द्वारा और खाते के लिए प्राप्त की जाने वाली राशि है। यदि इस तरह के अन्य समाशोधन सदस्य को निपटाने के दिन के बाद संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित दिनों की संख्या के भीतर चूककर्ता घोषित किया जाता है तो घटक उस राशि को वापस कर देगा। इस तरह के रिफंड संबंधित प्राधिकरण को लाभ के लिए और लेनदार सदस्यों के खाते में किए जाएंगे और इसे ऐसे लेनदार सदस्यों के दावों के परिसमापन में लागू किया जाएगा जिनके दावे नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार स्वीकार किए जाते हैं।

11.12 वितरण

संबंधित प्राधिकरण लेनदार सदस्यों के जोखिम और लागत पर वसूली के दौरान प्राप्त सभी संपत्तियों को ऐसे बैंक में भुगतान करेगा और/या उन्हें समाशोधन निगम के पास ऐसे नामों से रखेगा जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण समय-समय पर निर्देशित कर सकता है और वितरित करेगा। नियमों, उपनियमों और विनियमों के अनुसार ही।

11.13 क्लोजिंग-आउट

(ए) डिफॉल्टर के साथ ओपन डील करने वाले क्लियरिंग मेंबर्स ऐसे डिफॉल्टर मेंबर को डिफॉल्टर घोषित किए जाने के बाद ऐसे डील को बंद कर देंगे। इस तरह की समाप्ति समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्धारित तरीके से होगी। प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित इस संबंध में उप-नियमों और विनियमों के अधीन, जब प्रासंगिक प्राधिकरण की राय में, परिस्थितियों का इतना वारंट होता है,

तो इस तरह की समाप्ति को प्रासंगिक तरीके से निर्धारित किया जा सकता है। अधिकार।

(बी) क्लोजिंग आउट के उपरोक्त समायोजन से उत्पन्न अंतर का दावा डिफॉल्टर से किया जाएगा या डिफॉल्टर के लेनदार समाशोधन सदस्यों के लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण को भुगतान किया जाएगा।

11.14 डिफॉल्टर के खिलाफ दावे

डिफॉल्टर घोषित किए जाने के ऐसे समय के भीतर प्रासंगिक प्राधिकरण क्लियरिंग कॉर्पोरेशन पर व्यवसाय करने वाले प्रत्येक क्लियरिंग सदस्य को निर्देशित कर सकता है या तो संबंधित प्राधिकरण के साथ तुलना करने के लिए डिफॉल्टर के साथ अपने खातों को विधिवत समायोजित और नियमों में प्रदान किया गया, बाय- कानूनों और विनियमों या चूककर्ता के साथ ऐसे खातों का विवरण ऐसे प्रपत्र या प्रपत्रों में प्रस्तुत करें जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण निर्धारित कर सकता है या एक प्रमाण पत्र प्रस्तुत कर सकता है कि उसके पास ऐसा कोई खाता नहीं है।

11.15 खातों की तुलना या प्रस्तुत करने में देरी

कोई समाशोधन सदस्य निर्धारित समय के भीतर अपने खातों की तुलना करने या किसी चूककर्ता से संबंधित विवरण या प्रमाण पत्र भेजने में विफल रहता है, तो उसे अपने खातों की तुलना करने के लिए कहा जाएगा या ऐसे विवरण या प्रमाण पत्र को ऐसे और समय के भीतर भेजा जा सकता है, जैसा कि संबंधित प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्दिष्ट किया जा सकता है। समय पर।

11.16 खातों की तुलना या जमा करने में विफलता के लिए जुर्माना

प्रासंगिक प्राधिकरण इस तरह की कार्रवाई कर सकता है जो उचित समझे जिसमें किसी भी समाशोधन सदस्य पर ऑफ़लाइन शुल्क लगाना और निलंबन शामिल है जो अपने खातों की तुलना करने में विफल रहता है या चूककर्ता के साथ अपने खाते का विवरण प्रस्तुत करता है या एक प्रमाण पत्र कि उसके पास निर्धारित समय के भीतर ऐसा कोई खाता नहीं है .

11.17 भ्रामक वक्तव्य

प्रासंगिक प्राधिकरण इस तरह की कार्रवाई कर सकता है, जैसा कि वह ऑफ़लाइन शुल्क और निलंबन सहित उचित समझ सकता है, अगर यह संतुष्ट है कि ऐसे समाशोधन सदस्य द्वारा भेजे गए किसी चूककर्ता से संबंधित कोई तुलना बयान या प्रमाण पत्र झूठा या भ्रामक था।

11.18 प्रासंगिक प्राधिकरण के खाते

संबंधित प्राधिकरण डिफॉल्टर को देय सभी धन, प्रतिभूतियों और अन्य संपत्तियों के संबंध में एक अलग खाता रखेगा जो इसके द्वारा प्राप्त किया गया है और ऐसी संपत्तियों के संग्रह में या इसके बारे में या उसके बारे में सभी लागतों, शुल्कों और खर्चों से चूक जाएगा। डिफॉल्टर सदस्य द्वारा किए गए डिफॉल्ट के संबंध में या ऐसे डिफॉल्टर सदस्य के खिलाफ होने वाली किसी भी कार्यवाही के बारे में।

11.19 संपत्तियों का अनुप्रयोग

(1) प्रासंगिक प्राधिकारी डिफॉल्टर के सभी धन, अधिकारों और संपत्तियों को वसूल करेगा और लागू करेगा, जो संबंधित प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किया गया है या जो अन्य सभी संपत्तियों और डिफॉल्टर के धन सहित समाशोधन निगम में प्राप्त किया गया है और किसी अन्य समाशोधन सदस्य से इसके द्वारा प्राप्य प्रतिभूतियां, धन और समाशोधन निगम के पास पड़ी डिफॉल्टर की प्रतिभूतियां या समाशोधन निगम में पड़ी शेष राशि, सुरक्षा जमा, चूककर्ता की ओर से प्रस्तुत की गई कोई भी बैंक गारंटी, सावधि जमा रसीदें डिस्चार्ज या सौंपी गई या क्लियरिंग कॉरपोरेशन के पक्ष में, डिफॉल्टर द्वारा क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पास जमा क्लियरिंग मेंबर का योगदान, डिफॉल्टर या किसी अन्य व्यक्ति द्वारा क्लीयरिंग कॉरपोरेशन या संबंधित प्राधिकरण के दायित्वों के लिए बनाई गई या बनाई जाने वाली कोई भी सुरक्षा निम्नलिखित उद्देश्यों के लिए चूककर्ता और प्राथमिकता के निम्नलिखित क्रम में, अर्थात:

(ए) सबसे पहले - प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट प्राथमिकता के क्रम में कोर सेटलमेंट गारंटी फंड से किए गए किसी भी भुगतान को करने के लिए;

(बी) दूसरा-ऐसे सब्सक्रिप्शन, ऋण, जुर्माना, फीस, शुल्क और अन्य धन का भुगतान, जैसा कि प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा क्लियरिंग कॉरपोरेशन या नियामक को प्राथमिकता के क्रम में निर्धारित किया गया है, जैसा कि यहां उल्लेख किया गया है। ऊपर;

(सी) तीसरा - समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अधीन, शेष राशि, यदि कोई हो, संबंधित प्राधिकरण द्वारा ऐसे अवैतनिक ऋणों, देनदारियों, दायित्वों और दावों के भुगतान के लिए लागू की जाएगी। ऐसे डिफॉल्टर द्वारा किए गए किसी भी अनुबंध से उत्पन्न होने वाले डिफॉल्टर के घटक नियमों, उपनियमों और समाशोधन निगम के विनियमों के अधीन हैं, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा स्वीकार किया जाएगा; बशर्ते कि यदि उपलब्ध राशि ऐसे सभी ऋणों, देनदारियों, दायित्वों और दावों को पूरी तरह से चुकाने और संतुष्ट करने के

लिए अपर्याप्त है, तो उन्हें आनुपातिक रूप से भुगतान किया जाएगा और संतुष्ट किया जाएगा;

(डी) चौथा- अधिशेष, यदि कोई हो, चूककर्ता को भुगतान किया जाएगा।

(2) उप-नियम 11.19 (1) (सी) के तहत निर्दिष्ट व्यक्तियों को प्रो-राटा आधार पर निर्धारित और देय कोई भी राशि, या तो समाशोधन निगम या ऐसे अन्य में अपने खाते को जमा करके वितरित / भुगतान की जाएगी। जिस तरह से संबंधित प्राधिकरण निर्देशित करता है। यदि उप-नियम 11.19 (1) (सी) में निर्दिष्ट प्रो-राटा आधार पर निर्धारित की गई ऐसी कोई भी राशि, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित की जा सकती है, ऐसी अवधि के लिए दावा नहीं की जाती है, तो उससे निपटा जाएगा या संबंधित प्राधिकारी द्वारा निपटाया जाता है जैसा कि वह उचित समझे।

11.20 कुछ दावे जिन पर विचार नहीं किया जाना है

संबंधित प्राधिकरण चूककर्ता के खिलाफ किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा:

11.20.1 जो प्रतिभूतियों में एक अनुबंध से उत्पन्न होता है, जिसमें लेनदेन की अनुमति नहीं है या जो समाशोधन निगम के उप-नियमों, नियमों और विनियमों के अधीन नहीं हैं या जिसमें दावेदार ने या तो खुद का भुगतान नहीं किया है या उसके साथ सांठगांठ की है किसी भी सुरक्षा में सौदेबाजी पर देय मार्जिन की चोरी में चूककर्ता;

11.20.2 जो एक अनुबंध से उत्पन्न होता है जिसके संबंध में नियमों, उपनियमों और विनियमों में निर्धारित तरीके से खातों की तुलना नहीं की गई है या जब ऐसी कोई तुलना नहीं की गई है, तो ऐसे सौदों के संबंध में एक अनुबंध नोट नियमों, उपनियमों और विनियमों में प्रदान किए गए अनुसार प्रस्तुत नहीं किया गया है;

11.20.3 जो दावों के देय होने के दिन पूर्ण धन भुगतान के एवज में दावों के निपटान के लिए किसी भी व्यवस्था से उत्पन्न होता है;

11.20.4 जो किसी भी बकाया राशि या पिछले लेन-देन पर किसी भी बकाया अंतर से उत्पन्न होता है, जिसका दावा उचित समय पर और इन उपनियमों और विनियमों में निर्धारित तरीके से नहीं किया गया है;

11.20.5 जो प्रतिभूति के साथ या उसके बिना ऋण के संबंध में है/हैं;

11.20.6 जो प्रासंगिक प्राधिकरण के पास डिफॉल्टर घोषित होने की तारीख के ऐसे समय के भीतर दर्ज नहीं किया गया है, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है।

11.21 चूककर्ता की संपत्ति पर दावों का समनुदेशन

डिफॉल्टर का लेनदार होने के नाते क्लियरिंग मेंबर प्रासंगिक प्राधिकारी की सहमति के बिना ऐसे डिफॉल्टर की संपत्ति पर दावा नहीं बेचेगा, असाइन नहीं करेगा या गिरवी नहीं रखेगा।

11.22 डिफॉल्टर के नाम पर या उसके खिलाफ कार्यवाही

प्रासंगिक प्राधिकरण को (ए) डिफॉल्टर से देय किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य से किसी भी व्यक्ति के खिलाफ क्लियरिंग कॉरपोरेशन के नाम पर या डिफॉल्टर के नाम पर अदालती दोष में किसी भी कार्यवाही को शुरू करने का अधिकार होगा। समाशोधन निगम के नाम पर या लेनदारों के नाम पर कानून की अदालत में कोई कार्यवाही चूककर्ता से देय किसी भी राशि की वसूली के उद्देश्य से चूककर्ता के खिलाफ चूककर्ता। डिफॉल्टर के साथ-साथ डिफॉल्टर के लेनदारों को इस तरह की कार्यवाही करने के उद्देश्य से प्रासंगिक प्राधिकरण, क्लियरिंग कॉरपोरेशन को उनके गठित वकील के रूप में नियुक्त किया गया माना जाएगा।

11.23 संबंधित प्राधिकारी का भुगतान

यदि कोई समाशोधन सदस्य किसी डिफॉल्टर के खिलाफ कानून की अदालत में कोई कार्यवाही करता है, चाहे उसके डिफॉल्ट की अवधि के दौरान या उसके पुन: प्रवेश के बाद, डिफॉल्टर की संपत्ति के खिलाफ किसी भी दावे को लागू करने के लिए बाजार में किए गए किसी भी स्वीकृत सौदे से उत्पन्न हो। समाशोधन निगम के उप-नियम, नियम और विनियम ऐसे सदस्य को डिफॉल्टर घोषित किए जाने से पहले और एक डिक्री प्राप्त करने और उस पर किसी भी राशि की वसूली करने से पहले, यह ऐसी राशि या उसके किसी हिस्से का भुगतान करेगा जैसा कि लाभ के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा तय किया जा सकता है। और लेनदार सदस्यों के ऐसे डिफॉल्टर के खिलाफ दावे होने के कारण।

11.24 इस अध्याय XI के प्रावधान प्रतिभागियों पर ऐसे लागू होंगे जैसे कि वे क्लियरिंग निगमों द्वारा अधिसूचित क्लियरिंग सदस्य हों।

अध्याय - XII

कोर सेटलमेंट गारंटी फंड का संचालन शुरू होने के बाद कोर सेटलमेंट गारंटी फंड और चूक

12.1 परिभाषाएँ

12.1.1 उप-नियमों में 12.1 से 12.17 जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो:

(ए) एक व्यक्ति के संबंध में "**एसोसिएट**" में एक अन्य व्यक्ति शामिल होगा:

(i) जो, प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से, स्वयं या अन्य व्यक्तियों के संयोजन में, पहले व्यक्ति पर नियंत्रण रखता है;

(ii) जो पहले व्यक्ति की कुल मतदान शक्ति के कम से कम बीस प्रतिशत पर नियंत्रण रखता है;

(iii) जो पहले व्यक्ति की होल्डिंग कंपनी या सहायक कंपनी है;

(iv) ऐसे अन्य मामले जहां नियामक का मानना है कि किसी व्यक्ति को नियंत्रण की सीमा, स्वतंत्रता, हितों के टकराव सहित तथ्यों और कारकों के आधार पर एक सहयोगी के रूप में माना जाएगा;"

(बी) "**बिजनेस डे**" का अर्थ वही होगा जो उप-कानून 1.3 में दिया गया है

(सी) "**कोर एसजीएफ**" का मतलब कोर सेटलमेंट गारंटी फंड होगा;

(डी) "**निपटान**" में नीलामी समझौता शामिल होगा।

(ई) "**निपटान जिसमें एक समाशोधन सदस्य या एक डिफॉल्टर को डिफॉल्टर घोषित किया गया है**" का अर्थ निम्नलिखित होगा:

जहां एक समाशोधन सदस्य को किसी भी निपटान अवधि के संबंध में समाशोधन निगम में उसके द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान न करने के लिए चूककर्ता घोषित किया गया है, तो भुगतान न करने के संबंध में निपटान अवधि जिसके लिए समाशोधन सदस्य को चूककर्ता घोषित किया गया है "निपटान" हो जिसमें समाशोधन सदस्य या डिफॉल्टर डिफॉल्टर है या घोषित किया गया है"; और जहां समाशोधन सदस्य एक से अधिक निपटान अवधि के संबंध में समाशोधन निगम में इसके द्वारा देय किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहा है, तो "निपटान जिसमें समाशोधन सदस्य या चूककर्ता को चूककर्ता घोषित किया गया है" निपटान होगा प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट किया गया है जिसने इसे डिफॉल्टर घोषित किया है।

(च) डिफॉल्ट वाटरफाल क्लियरिंग कॉरपोरेशन की समग्र हानि अवशोषण क्षमता को परिभाषित करता है और क्रम में निर्धारित करता है, जिसमें प्रतिपक्षों की चूक से

उत्पन्न होने वाले नुकसान को विभिन्न पूंजी परतों में समाहित किया जाएगा, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ चूककर्ता शामिल हो सकते हैं। सदस्यों की संपत्ति, बीमा कवर, कोर एसजीएफ, समाशोधन निगम का निवल मूल्य (या उसका हिस्सा), चूक करने वाले सदस्यों से अतिरिक्त कैप्ड योगदान और भिन्नता मार्जिन हेयरकटिंग।

12.1.2 नियमों, उपनियमों और विनियमों में, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो:

"तारीख जिस पर कोर सेटलमेंट गारंटी फंड चालू हो जाता है" का अर्थ है प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट तारीख जिस पर कोर सेटलमेंट गारंटी फंड चालू हो जाएगा।

12.1.3 (ए) समाशोधन निगम खंड के लिए एक फंड स्थापित करेगा जिसे "कोर सेटलमेंट गारंटी फंड" के रूप में जाना जाएगा या इस तरह के नामकरण द्वारा समाशोधन निगम निर्दिष्ट कर सकता है, इस तरह से नियामक द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है समय।

(बी) कोर एसजीएफ के कोष में ऐसी राशि शामिल होगी जो उप-नियम 12.3 में प्रदान की गई है।

(सी) खंड के संबंध में समाशोधन और निपटान के लिए स्वीकृत ट्रेडों के निपटान की गारंटी देने के लिए। समाशोधन सदस्य (सदस्य) निपटान प्रतिबद्धताओं का सम्मान करने में विफल होने की स्थिति में, कोर एसजीएफ का उपयोग उस सदस्य के दायित्वों को पूरा करने और सामान्य निपटान प्रक्रिया को प्रभावित किए बिना निपटान को पूरा करने के लिए किया जाएगा।

प्रासंगिक प्राधिकरण कोर एसजीएफ के तरीके, मानदंडों और प्रक्रियाओं के संबंध में और कोर एसजीएफ के संचालन के प्रारंभ के बाद घोषित चूक के संबंध में इस तरह के नियम बनाने का हकदार होगा, जैसा कि वह उचित और उचित समझता है।

12.2 कोर एसजीएफ का प्रबंधन

12.2.1 (ए) समाशोधन निगम की प्रासंगिक समिति कोर एसजीएफ का प्रबंधन करेगी।

(बी) समाशोधन निगम के नियमों, उपनियमों और विनियमों के अधीन संबंधित प्राधिकरण का कोर एसजीएफ के प्रबंधन और प्रशासन पर पूर्ण नियंत्रण होगा। समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के अन्य प्रावधानों द्वारा प्रदत्त शक्तियों के अलावा, प्रासंगिक प्राधिकरण में सभी शक्तियां, प्राधिकरण और विवेकाधिकार निहित होंगे जो कि कंपनी के प्रबंधन और प्रशासन के लिए आवश्यक या समीचीन या प्रासंगिक हैं। कोर एसजीएफ या कोर एसजीएफ के उद्देश्य और उद्देश्य को प्राप्त करने के लिए।

12.3 कोर एसजीएफ की संरचना

1. किसी भी समय, सेगमेंट के कोर एसजीएफ में विभिन्न योगदानकर्ताओं का योगदान सेबी द्वारा समय-समय पर जारी दिशानिर्देशों के अनुसार होगा। कोर एसजीएफ में शामिल होंगे:

(ए) जारीकर्ता योगदान: कोर एसजीएफ के लिए ऋण प्रतिभूतियों के जारीकर्ताओं का योगदान ऋण प्रतिभूतियों की परिपक्वता के आधार पर प्रति वर्ष ऋण प्रतिभूतियों के जारी मूल्य के 0.5 आधार अंकों के बराबर होगा, जिसे सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से अग्रिम रूप से एकत्र किया जाना है। ;

(बी) समाशोधन सदस्य प्राथमिक योगदान:

कोर एसजीएफ में समाशोधन सदस्यों का योगदान जोखिम आधारित होगा और जारीकर्ताओं द्वारा एमआरसी पोस्ट योगदान में कमी के बराबर होगा। समाशोधन सदस्यों द्वारा उक्त अंशदान निम्नलिखित शर्तों के अधीन होगा:

बशर्ते कि (i) किसी भी समाशोधन सदस्य के मुख्य एसजीएफ योगदान पर कोई जोखिम उपलब्ध नहीं होगा (समाशोधन निगम के पास उपलब्ध समाशोधन सदस्य के जोखिम मुक्त संपार्श्विक को समाशोधन सदस्य के कोर एसजीएफ योगदान के लिए माना जा सकता है), और (ii) व्यक्तिगत रूप से आवश्यक योगदान समाशोधन सदस्य सिस्टम में लाए जाने वाले जोखिम के आधार पर यथानुपात होंगे।

समाशोधन निगम के पास समाशोधन सदस्यों के प्राथमिक योगदान को एकत्र करने का लचीलापन होगा, जिसमें समाशोधन सदस्य प्राथमिक अंशदान को अग्रिम रूप से एकत्र करने या समय की अवधि में अलग-अलग करने का लचीलापन शामिल है। यदि समाशोधन निगम समाशोधन सदस्यों से योगदान नहीं मांगता है या अंशदान की मांग करता है, तो शेष शेष राशि समाशोधन निगम द्वारा हर समय कुल कोर एसजीएफ कॉर्पस की पर्याप्तता सुनिश्चित करने के लिए पूरी की जाएगी। इस तरह के समाशोधन निगम का अंशदान निकासी के लिए समाशोधन निगम के लिए उपलब्ध होगा, जब कभी भी समाशोधन सदस्यों से और अंशदान एकत्रित/प्राप्त किए जाते हैं।

(सी) समाशोधन निगम योगदान: समाशोधन निगम सेबी द्वारा मान्यता प्रदान करने की तिथि से 5 (पांच) वर्ष की अवधि के लिए लाभ को कोर एसजीएफ को शेयरधारकों द्वारा वित्तीय विवरणों को अपनाने के 30 (तीस) दिनों के भीतर स्थानांतरित करेगा। वार्षिक आम बैठक। समाशोधन निगम अपनी स्वयं की निधियों से कोर एसजीएफ में अतिरिक्त योगदान कर सकता है। कोर

एसजीएफ में समाशोधन निगम के योगदान को इसके निवल मूल्य के हिस्से के रूप में और क्रेडिट जोखिम के लिए पूंजीगत आवश्यकताओं के रूप में भी माना जाएगा।

योगदान की उपर्युक्त निर्धारित सीमाएं बाजार की मौजूदा स्थितियों पर विचार करते हुए समय-समय पर सेबी द्वारा समीक्षा के अधीन हैं।

2. समाशोधन निगम द्वारा लगाए गए किसी भी दंड (एसईसीसी विनियमों के विनियम 34 के अनुसार) को कोर एसजीएफ कॉर्पस में जमा किया जाएगा।

3. कोर एसजीएफ में नकद योगदान पर ब्याज भी कोर एसजीएफ को मिलेगा और योगदानकर्ताओं को उनके नकद योगदान के अनुपात में यथानुपात श्रेय दिया जाएगा।

4. समाशोधन निगम कोर एसजीएफ अंशदान के लिए सामान्यतः नकद संपार्श्विक स्वीकार करेगा। हालाँकि, समाशोधन निगम केंद्र सरकार की प्रतिभूतियों और बैंक सावधि जमा के रूप में भी समाशोधन सदस्य अंशदान स्वीकार कर सकता है। समाशोधन निगम विशिष्ट मार्गदर्शन का पालन करेगा जो इस संबंध में समय-समय पर सेबी द्वारा जारी किया जा सकता है।

12.4 कोर एसजीएफ में और योगदान/प्रतिपूर्ति

विभिन्न योगदानकर्ताओं द्वारा कोर एसजीएफ में आवश्यक योगदान, जारीकर्ताओं द्वारा अग्रिम योगदान और समाशोधन निगम द्वारा लाभ के वार्षिक योगदान को छोड़कर, किसी भी महीने के लिए, योगदानकर्ताओं द्वारा महीने की शुरुआत से पहले किया जाएगा। एक कैलेंडर माह के दौरान कोर एसजीएफ के उपयोग की स्थिति में, योगदानकर्ता अपने व्यक्तिगत योगदान के उपयोग के अनुसार तुरंत कोर एसजीएफ को एमआरसी में भर देंगे। हालांकि, सदस्यों द्वारा कोर एसजीएफ की पुनःपूर्ति के लिए इस तरह का योगदान 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के दौरान केवल एक बार प्रतिबंधित होगा, इस अवधि के दौरान चूक की संख्या पर ध्यान दिए बिना। 30 कैलेंडर दिनों की अवधि समाशोधन निगम द्वारा बाजार सहभागियों को चूक की सूचना की तारीख से शुरू होगी।

यदि कुछ योगदानकर्ताओं की ओर से इसके (उनके) योगदान को फिर से भरने में विफलता होती है, तो इसे समाशोधन निगम द्वारा महीने के दौरान अस्थायी आधार पर तुरंत पूरा किया जाएगा।

12.5 सदस्यता समाप्त होने से अप्रभावित समाशोधन सदस्य का दायित्व

कोर एसजीएफ के समाशोधन सदस्य के किसी भी असंतुष्ट दायित्व को उसकी सदस्यता की समाप्ति से छुट्टी नहीं दी जाएगी या अन्यथा प्रतिकूल रूप से प्रभावित नहीं किया जाएगा।

12.6 कोर एसजीएफ को भुगतान करने में विफल रहने पर कार्रवाई

प्रासंगिक प्राधिकरण इस तरह की कार्रवाई कर सकता है जैसा कि वह एक समाशोधन सदस्य के खिलाफ उचित और उचित समझता है जो कोर एसजीएफ को किसी भी राशि का भुगतान करने में विफल रहता है, जिसमें व्यवसाय के निलंबन या समाशोधन सदस्य के सदस्यता अधिकार, जुर्माना और/या निष्कासन के माध्यम से कार्रवाई शामिल है। समाशोधन निगम की सदस्यता से।

12.7 योगदान का प्रतिस्थापन

जब तक समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों द्वारा अन्यथा प्रदान नहीं किया जाता है, प्रासंगिक प्राधिकरण समाशोधन सदस्य को कोर एसजीएफ को समान या अधिक मूल्य और एक प्रकृति के अन्य योगदान को प्रस्तुत करने के बाद योगदान वापस लेने की अनुमति दे सकता है। संबंधित प्राधिकारी के लिए सक्षम।

12.8 कोर एसजीएफ का निवेश

(ए) प्रासंगिक प्राधिकरण हो सकता है:

(i) एक या अधिक बैंक खाते खोलना, बनाए रखना, संचालित करना और बंद करना; और

(ii) सेबी द्वारा अनुमत ऐसे निवेशों में कोर एसजीएफ के पैसे का निवेश करें और ऐसे निवेशों को बेचें, स्थानांतरित करें, अलग-अलग करें, स्थानांतरित करें और अन्यथा व्यवहार करें;

(बी) कोर एसजीएफ के सभी निवेश कोर एसजीएफ के नाम और सभी बैंक खातों में रखे जा सकते हैं या संबंधित प्राधिकरण के नाम पर रखे जा सकते हैं और उनके द्वारा संचालित किए जा सकते हैं;

(सी) प्रासंगिक प्राधिकरण कोर एसजीएफ के धन का उपयोग केवल कोर एसजीएफ के प्रयोजनों के लिए करने का हकदार होगा।

12.9 दायित्वों को पूरा करने में विफलता के लिए उपयोग

(ए) प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट नियमों और शर्तों में, अन्य बातों के साथ-साथ, ब्याज, चुकौती, सदस्यता अधिकारों के निलंबन और संबंधित समाशोधन सदस्य की जोखिम सीमा में कमी के रूप में नियम और शर्तें शामिल हो सकती हैं।

(बी) संबंधित समाशोधन सदस्य कोर एसजीएफ से उपयोग की गई राशि को ऐसी अवधि के भीतर चुकाने के लिए बाध्य होगा, जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट दर पर ब्याज सहित संबंधित प्राधिकारी द्वारा निर्दिष्ट किया जा सकता है। यदि समाशोधन सदस्य संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्दिष्ट अवधि के भीतर कोर एसजीएफ या उसके हिस्से या उस पर किसी भी ब्याज से उपयोग की गई राशि को चुकाने में विफल रहता है, तो समाशोधन सदस्य को चूककर्ता घोषित किया जा सकता है।

12.10 भुगतान और प्राथमिकता के क्रम के लिए धन और संपत्ति का उपयोग

खंड के लिए समाशोधन निगम का डिफ़ॉल्ट जलप्रपात आम तौर पर निम्नलिखित क्रम का पालन करेगा -

(i) डिफॉल्ट करने वाले सदस्य का पैसा (कोर एसजीएफ में डिफॉल्ट करने वाले सदस्य के प्राथमिक योगदान सहित)।

(ii) बीमा, यदि कोई हो।

(iii) कोर एसजीएफ में जारीकर्ता का योगदान।

(iv) समाशोधन निगम संसाधन (सेगमेंट एमआरसी के 5% के बराबर)।

(v) निम्नलिखित क्रम में सेगमेंट का कोर एसजीएफ:

(ए) दंड

(बी) क्लियरिंग कॉर्पोरेशन के पिछले वित्तीय वर्षों के लाभ को कोर एसजीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया

(सी) शेष कोर एसजीएफ: समाशोधन निगम योगदान, योगदान और कोर एसजीएफ में गैर-चूक करने वाले सदस्यों का प्राथमिक योगदान यथानुपात आधार पर

(डी) समाशोधन निगम का शेष लाभ कोर एसजीएफ में स्थानांतरित कर दिया गया

(vi) शेष समाशोधन निगम संसाधन (100 करोड़ रुपये से अधिक या महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं के व्यवस्थित समापन के लिए पूंजी की आवश्यकता को छोड़कर) *

(vii) सेबी द्वारा अनुमोदित सीमा तक शेष समाशोधन निगम संसाधन।

(viii) गैर-चूक करने वाले सदस्यों द्वारा अतिरिक्त योगदान की सीमा तय की गई। **

(ix) भुगतान करने के लिए यथानुपात हेयरकट के माध्यम से कवर की जाने वाली कोई भी शेष हानि।***

* 100 करोड़ रुपये से अधिक या क्रिटिकल ऑपरेशंस और सेवाओं को व्यवस्थित रूप से बंद करने के लिए पूंजी की आवश्यकता को तभी बाहर रखा जाएगा जब शेष समाशोधन निगम संसाधन 100 करोड़ रुपये से अधिक हों।

** (i) समाशोधन निगम 30 कैलेंडर दिनों की अवधि के दौरान केवल एक बार कैप्ड अतिरिक्त योगदान के लिए कॉल करेगा, इस अवधि के दौरान चूक की संख्या की परवाह किए बिना। 30 कैलेंडर दिनों की अवधि समाशोधन निगम द्वारा बाजार सहभागियों को डिफ़ॉल्ट की सूचना की तारीख से शुरू होगी। , किसी भी बकाया पदों को बंद करने/निपटाने के अधीन, कैप्ड अतिरिक्त योगदान और सेबी को किसी भी बकाया राशि का भुगतान करने के अधीन। ऐसे इस्तीफा देने वाले सदस्यों से और कोई योगदान नहीं मांगा जाएगा।

(ii) गैर-चूक न करने वाले सदस्यों द्वारा अधिकतम कैप्ड अतिरिक्त योगदान कोर एसजीएफ में उनके प्राथमिक योगदान के 2 गुना या डिफ़ॉल्ट की तारीख पर कोर एसजीएफ के 10% से कम होगा।

(iii) गैर-चूक न करने वाले सदस्यों से निर्धारित राशि की वसूली में कमी के मामले में, सेबी के अनुमोदन से परत (जी) को और नुकसान आवंटित किया जा सकता है।

*** यदि नुकसान का आवंटन भुगतान में कटौती के माध्यम से किया जाता है, तो बाद में धन का कोई भी उपयोग सेबी के पूर्व अनुमोदन के साथ होगा। इसके अलावा, इस परत का उपयोग करके समाशोधन निगम द्वारा कोई भी निकास जनहित में सेबी द्वारा तय की गई शर्तों के अनुसार होगा।

12.11 चुकौती और चूककर्ता द्वारा ब्याज का भुगतान

यदि समाशोधन सदस्य की चूक के कारण उप-नियम 12.10 में निर्दिष्ट धन या संपत्ति में से संबंधित प्राधिकारी द्वारा किसी राशि का भुगतान किया जाता है, तो चूककर्ता समाशोधन निगम या समाशोधन निगम को इसे चुकाने के लिए उत्तरदायी होगा। प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा भुगतान की तारीख से शुरू होने और चुकौती की तारीख को समाप्त होने वाले ब्याज के साथ कोर एसजीएफ के क्रेडिट के लिए प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है; और, समाशोधन निगम के नियमों, उप-नियमों और विनियमों के प्रयोजनों के लिए, इस तरह के ब्याज को कोर एसजीएफ के लिए/देय भुगतान की गई राशि माना जाएगा।

12.12 प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा कार्यवाही

डिफ़ॉल्ट सदस्य के लिए और उसके खाते में संबंधित प्राधिकरण द्वारा कोर एसजीएफ से भुगतान किए जाने पर, समाशोधन निगम के पास चूककर्ता सदस्य की सभी संपत्तियों और संपत्ति पर पहला प्रभार होगा, चाहे वह कहीं भी स्थित हो और किसी भी प्रकृति का पुनर्भुगतान के लिए सुरक्षा के रूप में इस तरह के पैसे और उस पर ब्याज का भुगतान केवल किसी और सभी शुल्कों, बंधकों और अन्य भारों के अधीन होता है, जो संबंधित प्राधिकारी द्वारा भुगतान किए जाने के दिन से पहले मूल्यवान विचार के लिए वास्तविक रूप से डिफ़ॉल्ट सदस्य द्वारा बनाए जाते हैं।

12.13 संबंधित प्राधिकरण की बैठकें

संबंधित प्राधिकरण प्रत्येक कैलेंडर वर्ष के दौरान उतनी बार बैठक करेगा, जितनी वह समय-समय पर तय करे।

12.14 बैठकें कैसे बुलाई गईं

संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर तय की जाने वाली प्रक्रिया के अनुसार अपनी बैठक बुलाएगा।

12.15 गोपनीयता

प्रासंगिक प्राधिकरण, समाशोधन निगम और प्रासंगिक प्राधिकरण की सभी बैठकों के सभी कार्यवृत्त और कार्यवाही को गोपनीय माना जाएगा।

12.16 पत्राचार

प्रासंगिक प्राधिकरण किसी भी संचार को पहचानने या उस पर कार्रवाई करने के लिए बाध्य नहीं होगा जब तक कि वह लिखित रूप में न हो, संचार को संबोधित करने वाले व्यक्ति की पहचान और पते का खुलासा न करे और संचार को संबोधित करने वाले व्यक्ति द्वारा हस्ताक्षरित हो।

12.17 इस अध्याय XII के प्रावधान प्रतिभागियों पर लागू होंगे जैसे कि वे समाशोधन सदस्य थे, यदि समाशोधन निगम द्वारा अधिसूचित किया गया हो।

अध्याय-XIII
विविध

13.1 समाशोधन निगम कोर एसजीएफ और जोखिम प्रबंधन से संबंधित कार्यों के अलावा अपनी समाशोधन और निपटान गतिविधियों को एक मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम को आउटसोर्स कर सकता है, जो कि समाशोधन निगम समाशोधन निगम और ऐसे मान्यता प्राप्त समाशोधन के बीच सहमत व्यवस्था के अनुसार कर सकता है। निगम। यह स्पष्ट किया जाता है कि समय-समय पर सेबी द्वारा अनुमत समाशोधन और निपटान गतिविधियों को समाशोधन निगम द्वारा किसी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम को आउटसोर्स किया जा सकता है, बशर्ते कि ऐसी आउटसोर्सिंग गतिविधियों को निर्धारित तरीके और प्रक्रिया में किया जाएगा। समाशोधन निगम और समाशोधन निगम की देखरेख के अधीन और अन्य सभी गतिविधियों सहित, अन्य बातों के साथ, जैसे सदस्यों का प्रवेश, निरीक्षण, अनुपालन कार्य, समाशोधन निगम द्वारा किया जाएगा। बशर्ते आगे कि जोखिम प्रबंधन के लिए मानदंड और प्रक्रिया समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित की जाएगी और उसके कार्यान्वयन को समाशोधन निगम द्वारा उसके द्वारा चयनित मान्यता प्राप्त समाशोधन निगमों को आउटसोर्स किया जा सकता है।

13.2 समाशोधन निगम सेबी और/या किसी अन्य नियामक प्राधिकरण के अनुमोदन के अधीन समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित रूप और तरीके से समाशोधन निगम द्वारा प्रदान किए गए या व्यवस्थित मंच पर रेपो लेनदेन में व्यापार करने के लिए समाशोधन सदस्यों की सुविधा प्रदान कर सकता है। समाशोधन निगम की किसी भी एक्सचेंज के साथ व्यवस्था हो सकती है, जो अपने ट्रेडिंग प्लेटफॉर्म पर रेपो लेनदेन में ट्रेडिंग की अनुमति दे सकता है। समाशोधन निगम उपरोक्त सुविधा के संबंध में विनियम निर्धारित कर सकता है और समाशोधन सदस्य प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपनियमों और विनियमों के अधीन रेपो लेनदेन में लेनदेन करेंगे। उप-नियमों और विनियमों में विशेष रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, समाशोधन निगम को किसी भी दायित्व का वहन नहीं किया जाना चाहिए, और तदनुसार प्रतिभूतियों में किसी भी सौदे के संबंध में या उससे संबंधित किसी भी मामले के संबंध में कोई दावा या सहारा नहीं लेना चाहिए। पूर्वगामी गतिविधि समाशोधन निगम या समाशोधन निगम के लिए कार्य करने वाले किसी भी अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के विरुद्ध होगी।

13.3 समाशोधन निगम के प्रचार, सुविधा, सहायता, विनियमन, प्रबंधन और संचालन के संबंध में प्रासंगिक प्राधिकरण द्वारा निर्धारित उपनियमों और विनियमों में अन्यथा विशेष रूप से प्रदान किए गए को छोड़कर, समाशोधन निगम को खर्च किए गए नहीं माना जाना चाहिए कोई दायित्व, और तदनुसार प्रतिभूतियों में किसी भी व्यवहार या उससे जुड़े किसी भी मामले के संबंध में कोई दावा या सहारा समाशोधन निगम या इसके समाशोधन और निपटान गतिविधियों या किसी अधिकृत व्यक्ति को आउटसोर्स करने के लिए इसके द्वारा लगे किसी भी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम के खिलाफ नहीं होगा। (ओं) समाशोधन निगम के लिए अभिनय।

13.4 कोई भी दावा, मुकदमा, अभियोजन या अन्य कानूनी कार्यवाही समाशोधन निगम या उसके द्वारा समाशोधन और निपटान गतिविधियों को आउटसोर्स करने के लिए लगे किसी भी मान्यता प्राप्त समाशोधन निगम या समाशोधन निगम के लिए कार्य करने वाले किसी भी अधिकृत व्यक्ति (व्यक्तियों) के खिलाफ नहीं होगी, जो कुछ भी है तत्समय प्रवृत्त किसी कानून या प्रत्यायोजित विधान के अंतर्गत समाशोधन निगम को जारी किए गए किसी आदेश या अन्य बाध्यकारी निर्देश के अनुसरण में सद्भावपूर्वक किया गया या किए जाने का इरादा है।

अध्याय-XIV
प्रतिभागियों

14.1 आवेदन पर प्रतिभागियों का पंजीकरण

प्रासंगिक प्राधिकरण एक "प्रतिभागी" के रूप में पंजीकरण कर सकता है, जो कि उन घटकों में से हैं जो खुद को पंजीकृत करने के इच्छुक हैं, समय-समय पर बनाए गए इन उपनियमों और विनियमों के अनुसार, इस तरह के रेपो लेनदेन और विषय को सीधे समाशोधन और निपटाने के लिए संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित नियमों और शर्तों के अनुसार संबंधित समाशोधन सदस्य की सहमति सहित।

14.2 प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व

14.2.1 उप-नियमों के किसी अन्य भाग में निहित किसी भी विपरीत प्रावधान के बावजूद, समाशोधन निगम इस तरह के उद्देश्यों के लिए सौदे के लिए एक पार्टी के रूप में एक प्रतिभागी को मान्यता दे सकता है (समाशोधन और निपटान सहित) ऐसी शर्तों के अधीन , शर्तें और आवश्यकताएं और ऐसी परिस्थितियों में जो प्रासंगिक प्राधिकारी द्वारा समय-समय पर निर्धारित की जा सकती हैं।

14.2.2 उप-कानूनों के अध्याय II के तहत किसी भी अन्य प्रावधानों पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, संबंधित प्राधिकरण समय-समय पर रेपो लेनदेन के संबंध में प्रतिभागियों के कामकाज और संचालन को नियंत्रित करने वाले ऐसे दिशानिर्देश निर्धारित कर सकता है, जिसमें इस तरह के लेनदेन का समाशोधन और निपटान शामिल है। समाशोधन निगम और प्रतिभागियों के रूप में उनके पंजीकरण या मान्यता की निरंतरता के लिए शर्तें। पूर्वगामी की व्यापकता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, ऐसे मानदंडों, आवश्यकताओं और शर्तों में अन्य बातों के साथ-साथ जमा, मार्जिन, संपार्श्विक, शुल्क, सिस्टम उपयोग शुल्क, सिस्टम रखरखाव/औचित्य आदि शामिल हो सकते हैं।

14.2.3 प्रतिभागियों के अधिकार और दायित्व इन उपनियमों, विनियमों और दिशानिर्देशों के अधीन होंगे, जैसा कि संबंधित प्राधिकरण द्वारा समय-समय पर निर्धारित किया जा सकता है।

14.2.4 समय-समय पर निर्धारित नियमों और दिशानिर्देशों के अधीन, संबंधित प्राधिकरण किसी भी समय किसी प्रतिभागी के पंजीकरण को निलंबित या रद्द करने का हकदार होगा, यदि वह उल्लंघन, गैर-अनुपालन, अवज्ञा, उपेक्षा या का दोषी पाया जाता है। समाशोधन निगम के किसी भी नियम, उप-नियमों और विनियमों या प्रासंगिक प्राधिकरण या समाशोधन निगम के परिपत्रों, आदेशों, नोटिसों, निर्देशों, निर्णयों या फैसलों

या किसी भी आचरण, कार्यवाही या व्यवसाय के तरीके की चोरी जो समाशोधन निगम द्वारा की जाती है। अपने पूर्ण विवेकाधिकार में समाशोधन निगम के एक प्रतिभागी के लिए अपमानजनक, अपमानजनक या व्यापार के न्यायसंगत और न्यायसंगत सिद्धांतों के साथ असंगत या हितों के लिए हानिकारक, अच्छा नाम या समाशोधन निगम का कल्याण या प्रतिकूल या अपने उद्देश्यों और उद्देश्यों के लिए विध्वंसक प्रतिभागी को सुनने का अवसर। जैसा कि विनियम या दिशानिर्देशों में या संबंधित प्राधिकरण के निर्णय में स्पष्ट रूप से अन्यथा प्रदान किया गया है, को छोड़कर, प्रतिभागी को उपलब्ध सभी अधिकार और विशेषाधिकार तदनुसार इस तरह के रद्दीकरण पर समाप्त हो जाएंगे। . पूर्वगामी के प्रति पूर्वाग्रह के बिना, संबंधित प्राधिकरण उप-कानूनों, नियमों, विनियमों, दिशानिर्देशों, निर्देशों, परिपत्रों आदि का पालन नहीं करने के लिए एक प्रतिभागी के पंजीकरण को अस्थायी रूप से निलंबित कर सकता है और सुनवाई के बाद निर्णय लेने का अवसर दे सकता है।

14.2.5 समाशोधन निगम के विवेक पर, और इस तरह के नियमों या दिशानिर्देशों के अनुसार निर्धारित किया जा सकता है या अन्य नियमों और शर्तों को संबंधित प्राधिकरण द्वारा निर्धारित किया जा सकता है, प्रतिभागी को समाशोधन प्रणाली तक पहुंच की अनुमति दी जा सकती है जैसा कि तय किया जा सकता है ऐसे प्रतिभागी के रेपो लेनदेन के समाशोधन और निपटान के उद्देश्य से समय-समय पर संबंधित प्राधिकरण द्वारा।

14.3 समाशोधन और निपटान प्रक्रिया

प्रतिभागी रेपो लेन-देन के समाशोधन और निपटान की प्रक्रिया से संबंधित उप-नियमों और विनियमों से बंधे और उनका पालन करेंगे जैसे कि वे समाशोधन सदस्य हों और तदनुसार, जब तक संदर्भ की आवश्यकता न हो, यह शब्द समाशोधन सदस्य माना जाएगा। ऐसे उपनियमों और विनियमों में प्रतिभागी शामिल हैं।

अध्याय -XV
समाशोधन निगम का समापन

15.1 <u>परिभाषाएँ:</u>

15.1.1 इस अध्याय XV के प्रयोजन के लिए, जब तक कि विषय या संदर्भ में कुछ भी प्रतिकूल न हो:

"**समाप्ति दिनांक**" का अर्थ वह दिनांक होगा, जैसा कि सेबी के पूर्व अनुमोदन से समाशोधन निगम द्वारा निर्धारित और घोषित किया जा सकता है, जिस पर सभी बकाया पद दैनिक निपटान मूल्यों पर समाप्त हो जाएंगे, और प्रत्येक समाशोधन के लिए एक ही दावा किया जाएगा। सदस्य।

15.2 <u>वाइंडिंग डाउन के परिदृश्य</u>

समाशोधन निगम निम्नलिखित परिदृश्यों में स्वेच्छा से या अनैच्छिक रूप से अपने महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं को बंद कर सकता है:

15.2.1 <u>समाशोधन निगम का स्वैच्छिक परिसमापन</u>

समाशोधन निगम विलायक है और दोनों समाशोधन सदस्यों के साथ-साथ अन्य लेनदारों के लिए अपने सभी दायित्वों को पूरा करता है, लेकिन एक रणनीतिक या व्यावसायिक निर्णय के रूप में वाइंड डाउन और बाहर निकलने का विकल्प चुनता है।

15.2.2 <u>अनैच्छिक वाइंडिंग डाउन</u>

समाशोधन निगम विभिन्न कारकों के कारण अपने महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं को अनैच्छिक आधार पर बंद कर सकता है, लेकिन निम्नलिखित तक सीमित नहीं है:

(i) <u>डिफॉल्ट लॉस के कारण वाइंडिंग डाउन</u>

समाशोधन निगम समाशोधन निगम द्वारा अनुरक्षित डिफ़ॉल्ट प्रबंधन संसाधनों को समाप्त कर सकता है, समाशोधन सदस्य (सदस्यों) द्वारा डिफ़ॉल्ट के कारण समाप्त हो जाता है, और इसके परिणामस्वरूप यदि समाशोधन निगम समाशोधन सदस्यों और/या इसके घटकों के प्रति अपने दायित्वों को पूरा करने में विफल रहता है।

(ii) <u>नॉन-डिफॉल्ट लॉस के कारण वाइंडिंग डाउन</u>

समाशोधन निगम समाशोधन सदस्य चूक की अनुपस्थिति में भी समाप्त हो सकता है, यदि इसकी शोधन क्षमता पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ता है, जिसमें बड़े परिचालन व्यय, कानूनी व्यय, व्यवसाय या निवेश हानि शामिल हैं, लेकिन समाशोधन निगम अपने दायित्वों को पूरा करने में असमर्थ है। समाशोधन सदस्य (सदस्यों), इसके घटकों और/या अन्य लेनदारों के लिए।

(iii) <u>विनियामक कार्रवाइयों के परिणामस्वरूप वाइंडिंग डाउन</u>

लागू कानूनों के तहत सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण के निर्देश पर समाशोधन निगम अपने महत्वपूर्ण संचालन और सेवाओं को बंद कर सकता है।

15.3 <u>वाइंडिंग डाउन प्रक्रिया</u>

15.3.1 <u>स्वैच्छिक समापन:</u>

(i) एक समाशोधन निगम के स्वैच्छिक समापन को निदेशक मंडल, समाशोधन निगम के शेयरधारकों और सेबी द्वारा अनुमोदित किया जाएगा।

(ii) सेबी का पूर्व अनुमोदन प्राप्त करने के बाद, समाशोधन सदस्यों को स्वेच्छा से वाइंड डाउन करने के अपने निर्णय के बारे में सूचित करेगा और वाइंडिंग डाउन के लिए छह महीने की पर्याप्त नोटिस अवधि का भी उल्लेख करेगा ताकि वित्तीय प्रणाली पर महत्वपूर्ण प्रभाव न पड़े।

(iii) चूंकि क्लियरिंग कॉरपोरेशन सॉल्वेंट है, इसलिए उसके पास परिचालन की पूरी श्रृंखला जारी रखने या वाइंडिंग डाउन अवधि के दौरान केवल महत्वपूर्ण संचालन और सेवाएं करने का विकल्प होगा।

15.3.2 <u>स्वैच्छिक समापन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:</u>

(i) समाशोधन निगम के समाशोधन सदस्यों को नए निर्दिष्ट समाशोधन निगम को समाशोधन सदस्यों और/या इसके घटकों के किसी भी खुले पदों के हस्तांतरण को सक्षम करने के लिए नोटिस अवधि के अंत से पहले नामित समाशोधन निगम के सदस्य बनना होगा।

(ii) समाशोधन सदस्य जिनके पास खुली स्थिति है, वे अपने निर्दिष्ट समाशोधन निगम को बदल सकते हैं या अपनी खुली स्थिति को बंद कर सकते हैं। समाशोधन निगम नोटिस अवधि के अंत में नए नामित समाशोधन निगम को समाशोधन निगम में किसी भी खुली स्थिति को स्थानांतरित करेगा। कोई भी ओपन पोजीशन जो नोटिस अवधि के भीतर नए नामित समाशोधन निगम को स्थानांतरित नहीं की जा सकती थी, समाप्ति तिथि के दैनिक निपटान मूल्य पर और समाशोधन निगम के नियमों, उपनियमों और विनियमों के प्रावधानों के अनुसार बंद कर दी जाएगी।

(iii) <u>संपत्ति की वापसी</u>

सेबी द्वारा जारी दिशानिर्देशों या सेबी या किसी अन्य वैधानिक प्राधिकरण द्वारा जारी किए गए किसी अन्य निर्देश के अधीन, समाशोधन निगम गैर-चूक करने वाले सदस्यों, प्रतिभागियों या घटकों के संपार्श्विक और सदस्यता जमा और समाशोधन सदस्यों के अप्रयुक्त कोर एसजीएफ योगदान को वापस कर सकता है। प्रतिभागियों। समाशोधन सदस्य को जमा, संपार्श्विक या किसी अन्य धन की

वापसी समाशोधन सदस्य के समाशोधन निगम/एक्सचेंज/सेबी/और अन्य वैधानिक देय राशि, यदि कोई हो, के अधीन होगी।

(iv) समाशोधन निगम समय-समय पर सेबी द्वारा निर्दिष्ट तरीके से कोर एसजीएफ का हिस्सा बनने वाले इन घटकों पर समाशोधन सदस्यों, जारीकर्ताओं के योगदान और ब्याज से एकत्रित दंड का उपयोग या उपयोग कर सकता है।

15.3.3 <u>डिफ़ॉल्ट हानियों के कारण वाइंडिंग डाउन</u>

समाशोधन निगम एक या एक से अधिक बड़ी चूक के मामले में एक परिदृश्य के तहत बंद हो सकता है, जिसके परिणामस्वरूप डिफ़ॉल्ट जलप्रपात में अपने सभी संसाधन समाप्त हो जाते हैं, और सभी पुनर्प्राप्ति उपाय विफल हो जाते हैं।

15.3.4 <u>नॉन-डिफॉल्ट लॉस के कारण वाइंडिंग डाउन</u>

क्लियरिंग कॉर्पोरेशन बड़े परिचालन/गैर-परिचालन खर्चों और/या व्यवसाय/निवेश घाटे के कारण समाप्त हो सकता है, जिससे क्लियरिंग कॉर्पोरेशन अन्य लेनदारों को भुगतान करने में असमर्थ हो सकता है और क्लियरिंग कॉर्पोरेशन नेट-वर्थ का क्षरण हो सकता है।

15.3.3 और 15.3.4 के तहत उपरोक्त परिदृश्यों के मामले में वाइंडिंग डाउन की प्रक्रिया निम्नानुसार होगी:

(i) समाशोधन निगम प्राधिकरण के अनुमोदन से समाप्ति तिथि की घोषणा करेगा।

(ii) सभी ओपन पोजिशन समाप्ति तिथि के दैनिक निपटान मूल्यों पर समाप्त हो जाएंगी, और प्रत्येक समाशोधन सदस्य के लिए एक ही दावा किया जाएगा।

(iii) सदस्य के लाभ के मामले में, या सदस्य के नुकसान के मामले में, सदस्य से प्राप्त होने पर, समाशोधन सदस्य को भुगतान के द्वारा समापन लेन-देन या दावा राशि का निपटान किया जाएगा।

(iv) क्लोज आउट लेनदेन या दावा राशि समाप्ति तिथि के बाद तय की जाएगी, लेकिन समाप्ति तिथि के बाद दो दिनों के बाद नहीं।

(v) उपरोक्त उप-खंड के तहत किसी भी राशि का भुगतान करने से पहले, समाशोधन निगम को समाशोधन निगम को सदस्य द्वारा देय किसी भी राशि से वसूल करने का अधिकार होगा।

(vi) समापन तिथि के अगले दिन से समाशोधन निगम का संचालन बंद कर दिया जाएगा।

(vii) क्लोज-आउट लेनदेन अंतिम और समाशोधन सदस्य के लिए बाध्यकारी होगा।